

वार्षिक प्रतिवेदन

2017–18



चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था)
कोटा रोड़, बंबाला, प्रताप नगर, निकट सांगानेर, जयपुर— 302033

सामग्री

क्रम. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान—एक परिदृश्य	1-7
	सीसीएस नियाम की मुख्य गतिविधियां	8
1	परिचय	9
1.1	संस्थान	9
1.2	परिकल्पना	10
1.3	ध्येय	10
1.4	जनादेश	10
1.5	उद्देश्य	11
1.6	केन्द्र	12
1.7	प्रेरित क्षेत्र या महत्वपूर्ण क्षेत्र	12
2	प्रशिक्षण गतिविधियां	14
2.1	सहयोग	14
2.2	प्रशिक्षण प्रक्रिया	15
2.3	कार्यक्षेत्र व्याप्ति	15
2.4	कार्यक्रमों का राज्यवार वितरण	17
2.5	प्रमुख प्रशिक्षण उपलब्धियां	17
2.5.1	अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	17
2.5.2	कौशल विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम	19
2.5.3	किसान व्यवसाय विद्यालय	21
2.5.4	संगोष्ठी/संवेदीकरण कार्यशाला	22
2.5.5	राष्ट्रीय कृषि बाजार पर मंडी सचिवों एवं व्यापारियों हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम	23
2.5.6	स्वच्छ भारत अभियान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	23
3	शोध एवं प्रकरण अध्ययन	23
3.1	प्रकरण अध्ययनों की सूची	24
3.2	प्रकरण अध्ययनों का संक्षिप्त वृत्तान्त	24
4	परामर्शदात्री परियोजनायें	29
4.1	एम.आई.डी.एच. के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर संस्था—मूल्य शृंखला अध्ययन हेतु	29
4.2	किसानों का मखाना मूल्य शृंखला विश्लेषण के साथ संलयन पर शोध अध्ययन	30
4.3	उड़ीसा—किसानों को ई—नाम के साथ जोड़ना, वर्तमान स्थिति एवं दिशा	31
4.4	कृषकों, ट्रेडर एवं दाल मिलर्स के लिए डब्ल्यूडीआरए पर जागरूकता कार्यक्रम	32
4.5	भण्डारण विकास एवं नियंत्रण प्राधिकरण के तहत भण्डारगृह प्रभारियों/प्रबंधकों/पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	35
4.6	प्रक्षेत्र तकनीशियनों के लिए कौशल विकास प्रमाणीकरण पर पाठ्यक्रम	35
5	शैक्षिक कार्यक्रम	36
5.1	प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कृषि व्यवसाय प्रबंधन)—पी.जी.डी.एम. (ए.बी.एम.)	36
5.2	छात्रों का औद्योगिक भ्रमण	36
5.3	अंतिम चयन	38
5.4	पुरस्कार समारोह	38
5.5	ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षुता	38
5.6	अन्य गतिविधियां	38
6	पुस्तकालय	40
6.1	प्रकाशन	41
6.2	मीडिया में सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान	41
7	महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन	41
8	नियाम में आधारभूत संरचना	42
9	राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पटल (सेमिनार, सिम्पोजिया, कान्फेंस एवं प्रशिक्षण) में सीसीएस नियाम की उपस्थिति	42
10	स्वच्छता ही सेवा अभियान	44
11	प्रशासनिक एवं लेखा मामले	45
11.1	बैठकें	45
11.2	लेखा एवं लेखा परीक्षण 2017-18	45
11.3	वित्तीय समीक्षा	47
अनुलग्नक (1 से 6 तक)		49
	अनुलग्नक-1 — साधारण सभा के सदस्यों की सूची	51
	अनुलग्नक-2 — कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची	52
	अनुलग्नक-3 — अकादमिक समिति के सदस्यों की सूची	53
	अनुलग्नक-4 —राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के संकाय सदस्य, अधिकारी एवं कर्मिकों की सूची	54
	अनुलग्नक-5 —राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम 2017-18	55-63
	अनुलग्नक-6 — वार्षिक लेखे वर्ष 2017-18	65

श्री राधा मोहन सिंह जी
माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
एवं
अध्यक्ष, सीसीएस नियाम, साधारण सभा



“ई-नाम के माध्यम से बाजार नैटवर्क बढ़ाना और किसान की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है ताकि किसान की आमदनी दुगुनी हो सके।”

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी
माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
और
सीसीएस नियाम की साधारण सभा के उपाध्यक्ष



“भारत सरकार ने किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य को 2022 तक प्राप्त करने हेतु बाजार सुधार, नई तकनीक का उपयोग तथा आधारभूत संसाधनों में वृद्धि के साथ अन्य सुविधाएँ बढ़ाने की पहल की है।”

प्रस्तावना



चौधरी चरण सिंह, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में कृषि विपणन तंत्र के सुदृढीकरण के लिए की गई थी, हालांकि इसकी शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से संस्थान सहृदय कृषि एवं किसानों के जीवन को गुणवत्ता प्रदान करने का पुरजोर प्रयास कर रहा है। सीमित मानव संसाधनों के बावजूद संस्थान 4148 हितधारकों तक देश में पहुंच बनाने में समर्थ रहा है, जिससे कृषि विपणन की उत्तम विधियों का प्रसार किया जा सकें। इस उद्देश्य से संस्थान बहुसंख्य सहयोगी संस्थानों के साथ पूरे देश में सहयोगी प्रणाली से कार्य कर रहा है।

संस्थान की किसान व्यवसाय पाठशाला की पहल ने कृषि को कृषि विपणन में परिवर्धित करने की संभावना, किसानों को कृषि उद्यमिताओं का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण में अनुसंधान के क्षेत्र में 9 अनुसंधान परियोजनाओं को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लिया है। वर्तमान में कृषि विपणन की क्षेत्र में पारदर्शिता तथा तत्परता के लिए ई-नाम योजना आरम्भ जो चुकी है। संस्थान में इस क्षेत्र में जागरूकता का संचार करने के लिए कई कार्यक्रम आरम्भ किए हैं, जिन्हें किसानों के द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। संस्थान ने भण्डारण विकास एवं नियंत्रण प्राधिकरण कौशल विकास तथा ई-नाम जैसे सरकार के कार्यक्रमों के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संस्थान फिलहाल किसान उत्पादक कम्पनियों के सुदृढीकरण तथा पूर्वोत्तर राज्यों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए अधिक कार्यक्रमों के आयोजन पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

कृषि स्नातकोत्तर प्रबंधन (कृषि व्यवसाय प्रबंधन) संस्थान का सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम है, जिसमें सम्पूर्ण राष्ट्र से समग्र रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाता है तथा शत प्रतिशत नियोजन प्राप्त किया गया है। यह डिप्लोमा कार्यक्रम संस्थान का संबंध कृषि उद्योग से जुड़ी कम्पनियों से संस्थापित करता है जो कृषि विपणन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ने अपने अन्तराष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से एशिया और अफ्रीका के देशों में भी अपनी पहुंच बनाई है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थान ने वैश्विक कृषि विधियों को समृद्ध किया है तथा भारतीय अनुभवों को सफलतापूर्वक अन्य देशों के साथ सांझा किया है।

आधारभूत संरचना तथा मानव संसाधन संस्थान के गुणवत्तापूर्ण व मात्रात्मक विस्तार के लिए परमावश्यक है। संस्थान ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया है कि कृषि विपणन भारतीय किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण घटक बन गया है। संस्थान मंत्रालय एवं राज्य सरकार की नितियों के समर्थन में व्यापक जिम्मेदारी वहन करता है ताकि विपणन मण्डलों तथा निजी क्षेत्र के संगठनों के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित कर सकें। संस्थान मंत्रालय द्वारा दिये जा रहे समग्र समर्थन के लिए आभारी है तथा किसानों की सेवा में पुनः समर्पित है।



(डॉ. पी. चन्द्र शेकरा)

महानिदेशक

सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान

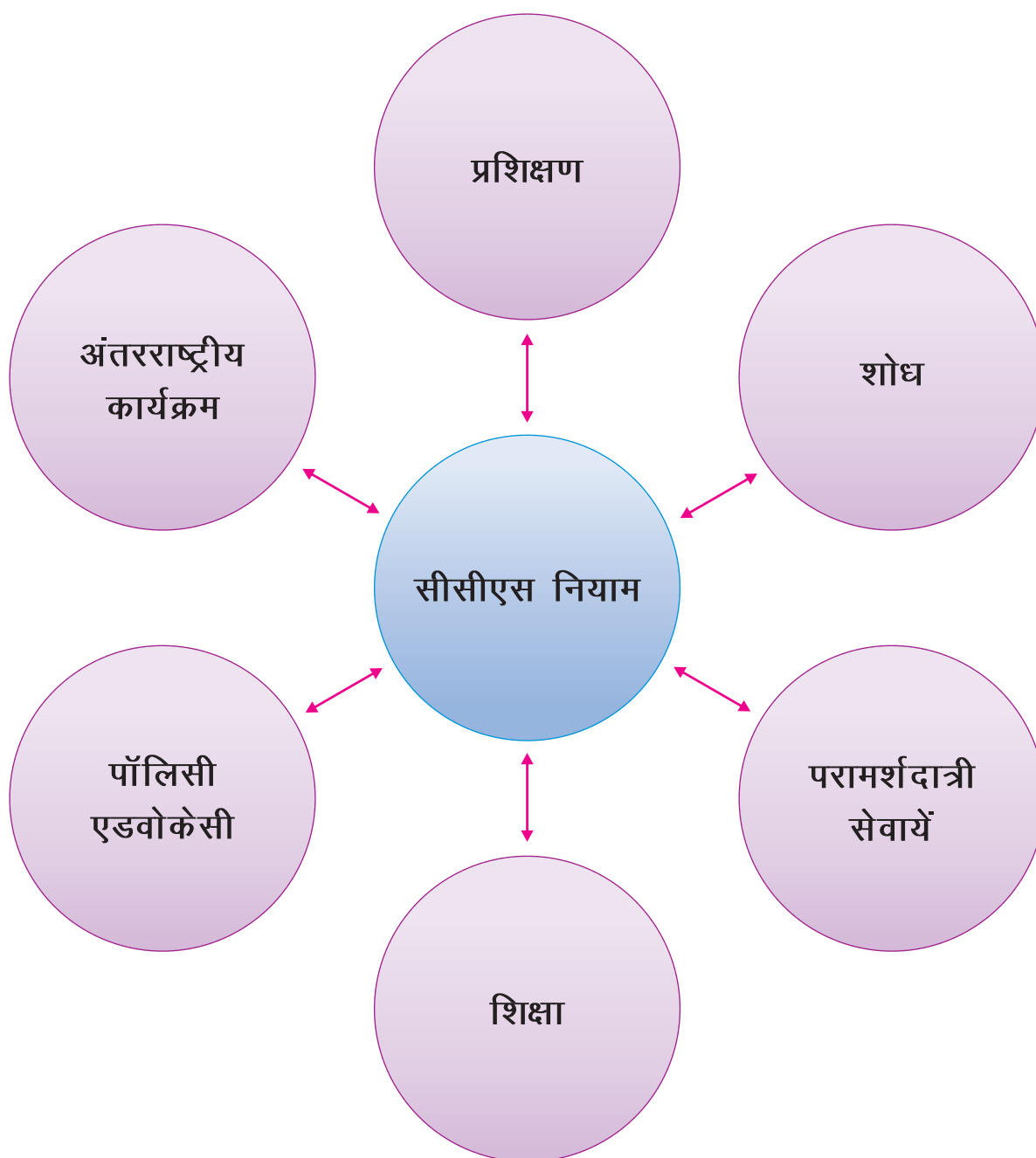
संस्थान के बारे में

चौधरी चरण सिंह
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान
(सीसीएस नियाम)



सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (सीसीएस नियाम) अगस्त 1988 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक उत्कृष्ट संस्थान है जिसे कृषि विपणन पद्धतियों की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य स्थापित किया गया था। संस्थान का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली को विकसित करना है जो कि प्राथमिक उत्पाद को शिक्षण, प्रशिक्षण प्रयुक्त शोध, नीति का समर्थन करना और परामर्शदात्री सेवाओं के माध्यम से विभिन्न हितधारकों की क्षमता में विकास कर उन्हें समावेशी और शक्ति प्रदान करना है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सीसीएस नियाम की साधारण सभा के अध्यक्ष हैं और सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण, कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। महानिदेशक संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। संस्थान ने अपनी यात्रा के दौरान कृषकों की सेवा करते हुए एक लाख से ज्यादा हितधारकों को प्रशिक्षित किया है।

सी.सी.एस. नियाम की मुख्य गतिविधियां



1. परिचय

व्यापार व्यवहार, व्यापार के अवसर और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के संदर्भ में कृषि पर्यावरण बदल रहा है। कम से कम भूमि से अधिक आय उत्पन्न करने का दबाव है और साथ ही नए एकीकृत उच्च मूल्य वाले कृषि वस्तु श्रृंखला के उभरने और प्रौद्योगिकी के माध्यमसे जानकारी तक पहुंचने के माध्यम उपलब्ध कराये जाने के अवसर हैं। विशेष रूप से विपणन के लिये किसी भी क्षेत्र के विकास के लिये रणनीति को बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को समायोजित करना है।

नियाम, कृषि विपणन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसके क्रियान्वयन के क्षेत्र में कार्य करके पर्यावरण में बदलाव के साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का ध्यान जैसे कि किसान विकास वृक्ष, राष्ट्रीय कृषि बाजार, मुख्य रूप से बागवानी और जैविक फसलों के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला का विकास और विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिये विपणन रणनीतियों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना है। नियाम ने किसान व्यापार स्कूल (केबीएस) के टैस्ट पायलट जैसी योजना चलाकर किसानों की आय में वृद्धि करने में मदद के लिये कई पहल की हैं, जिनका केन्द्र बिन्दु प्रशिक्षण में बदलाव लाकर किया ताकि वे कुशल प्रबंधक और उद्यमी बन सकें।

किसान उत्पादक संगठनों के लिये प्रशिक्षण मापदंड में बदलाव लाकर उनकी मदद की है ताकि वे व्यवसाय योजना को कार्यान्वित करते हुए इस सिद्धान्त में टिकाउपन ला सकें।

सीसीएस नियाम दक्षिणी-पूर्वी एशिया एवं अफ्रीकन देशों के लिये कृषि विपणन के क्षेत्र में एक मुख्य संगठन के रूप में विकसित हो रहा है। यह सार्क देशों के लिये प्रशिक्षण और परामर्शदाता केन्द्र संसाधन केन्द्र और यूएसएड के एफटीएफ के लिये मुख्य केन्द्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में नामांकित हुआ है। सीसीएस नियाम सफलतापूर्वक विभिन्न प्रकार के हितधारकों की प्रशिक्षण, परामर्श, शिक्षा और अनुसंधान की आवश्यकताओं को भली-भांति पूरी कर रहा है।

1.1 संस्थान

सीसीएस नियाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में कार्य करने वाली एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसको भारत और साथ ही दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में कृषि विपणन कर्मियों की जरूरतों को पूरा करने के लिये वर्ष 1988 में एक पंजीकृत संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। संस्थान किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने, समस्त मुद्दों पर शोध करने, सरकार के लिये निर्णय लेने वालों के लिये परामर्श सेवाएं, कृषि विपणन और सरकार के लिये निजी क्षेत्र की नीतियों के लिये परामर्श सेवाएं तैयार करने और सरकार को नीतिगत समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और कृषि विपणन क्षेत्र में विकास की सुविधा और दक्षता लाने में मदद कर रहा है।



1.2 परिकल्पना

एक उत्कृष्ट संस्थान होने और ज्ञान संग्रह के रूप में, जिससे कृषि विपणन पद्धतियों की क्षमता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके, जिससे प्राथमिक उत्पादक को शक्तिशाली बनाया जा सके और विभिन्न हितधारकों की प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, नीति वकालत और परामर्श सेवाओं के माध्यम से क्षमता का विकास किया जा सके।

1.3 ध्येय

- प्राथमिक कृषकों को योग्य बनाना विशेषकर छोटे और मझौले किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक कार्यक्रम द्वारा अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए कारगर रणनीति विकसित करना।
- अनुप्रयुक्त शोध द्वारा कुशल, टिकाऊ और सम्मिलित कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को सुसाध्य बनाना।
- कृषि जन्य व्यापार के लिये नवीन शिक्षण और पेशेवर लोगों को उभरते हुए शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षित करना।
- क्रिया उन्मुख और अनुप्रयुक्त परामर्श के माध्यम से कृषि विपणन पर सार्वजनिक नीति के निर्माण और बदलाव की सुविधा प्रदान करना।
- वैश्विक खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि के लिये अन्तराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।
- अनुसंधान और उसके प्रसार को बढ़ावा देने के माध्यम से कृषि व्यवसाय बाजार के विकास और प्रबंधन ज्ञान और अभ्यास में योगदान करना।

1.4 जनादेश

संस्थान 7वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित जनादेश के साथ स्थापित किया गया था:

1. प्रशिक्षण: मौजूदा कृषि विपणन कर्मियों के कौशल का उन्नयन करना।
2. अनुसंधान: कृषि विपणन के विभिन्न समकालीन पहलुओं पर शोध।
3. परामर्श: कृषि विपणन में सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्र के नीति निर्धारकों के लिये परामर्शदात्री सेवायें।
4. शिक्षा: कृषि व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम द्वारा युवा प्रबंधक एवं पेशेवर व्यक्तियों को तैयार करना।
5. कृषि विपणन द्वारा डी.ए.सी. के लिये नीतिगत समर्थन और योजनाओं का सूत्रीकरण।

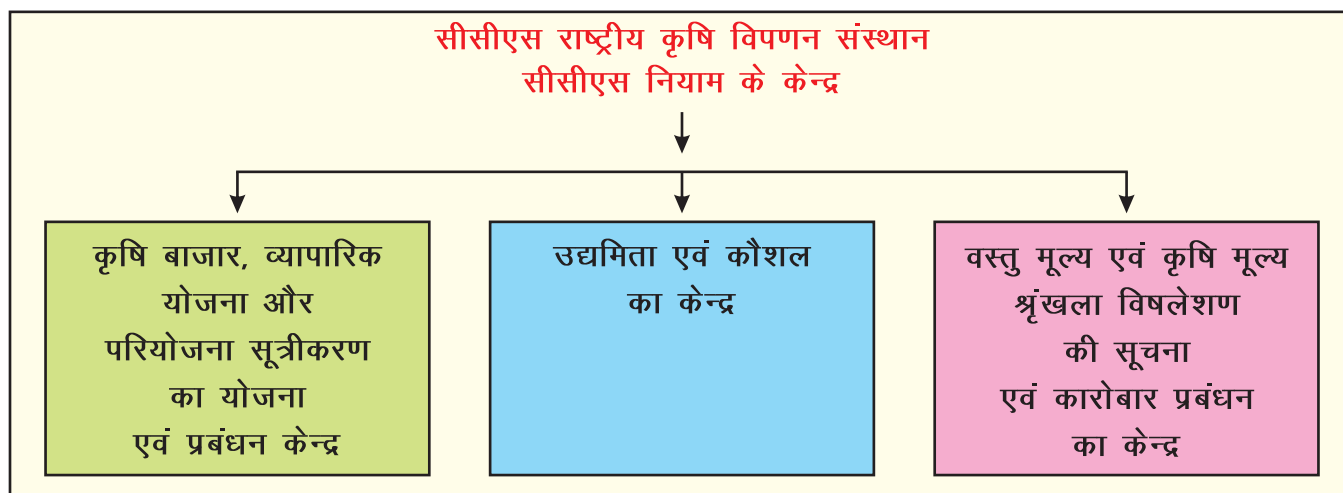
1.5 उद्देश्य

संस्थान के ज्ञापन और नियम और विनयम के अनुसार मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- ❖ कृषि विपणन के समस्याग्रस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रयोज्य एवं कार्यात्मक अनुसंधान का अध्ययन व इसे बढ़ावा देना, देश में कृषि विपणन से सम्बन्धित विभिन्न अनुसंधान अध्ययन एवं तकनीकों का प्रसार एवं उनके समन्वय के लिये राष्ट्रीय स्तर के केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करना।
- ❖ राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एसएएमबी) जैसे कृषि विपणन गतिविधियों, कृषि विकास, बागवानी पशु पालन, मछली पालन, वानिकी, रेशम कीट पालन, काड़ा, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, सहकारी विपणन संस्थाएँ, कमोडिटी बोर्ड, निवेश ऐजेन्सीज और प्रगतिशील किसान, उद्यमी आदि जैसे कृषि विकास गतिविधियों में शामिल संगठनों के विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ❖ दीर्घकालीन परियोजनाओं पर अनुसंधान कार्य करना, नीतियां निर्धारण करना, प्रमुख मामलों व मुद्दों सहित प्रसंस्करण उद्योगों निर्यात प्रबन्ध आदि जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सीधे असर डालते हैं की विशिष्ट विपणन समस्याओं का अध्ययन कर स्थिति पत्र तैयार करना।
- ❖ राज्य और केन्द्रीय विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र निगमों को परामर्श सेवाएँ एवं राज्यों के व्यापारियों एवं किसानों के लिये मास्टर प्लान तैयार करना।
- ❖ डिप्लोमा/डिग्री कार्यक्रमों द्वारा कृषि विपणन क्षेत्र में दीर्घ अवधि पाठ्यक्रम उपलब्ध करा कर मानव संसाधनों का विकास करना।
- ❖ स्थानीय संभावित स्रोतों को उपयोग में लाते हुये शिक्षित युवाओं को स्व-रोजगार सृजित कर राज्य सरकार की सहायता करना।
- ❖ कृषि विपणन क्षेत्र के ज्वलन्त मुद्दों पर नीति निर्धारण कर सरकार को सहयोग देना।
- ❖ प्रभावी, नवाचारी एवं प्रतिस्पर्धात्मक विपणन विधि विकसित करने व सभी सम्बन्धित लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिये देश में कृषि विपणन क्षेत्र के लिये विस्तृत सूचना तंत्र उपलब्ध कराना।
- ❖ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सम्मिलित करते हुये उपर्युक्त नेट वर्किंग स्थापना द्वारा कृषि विपणन के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित होना।

1.6 केन्द्र

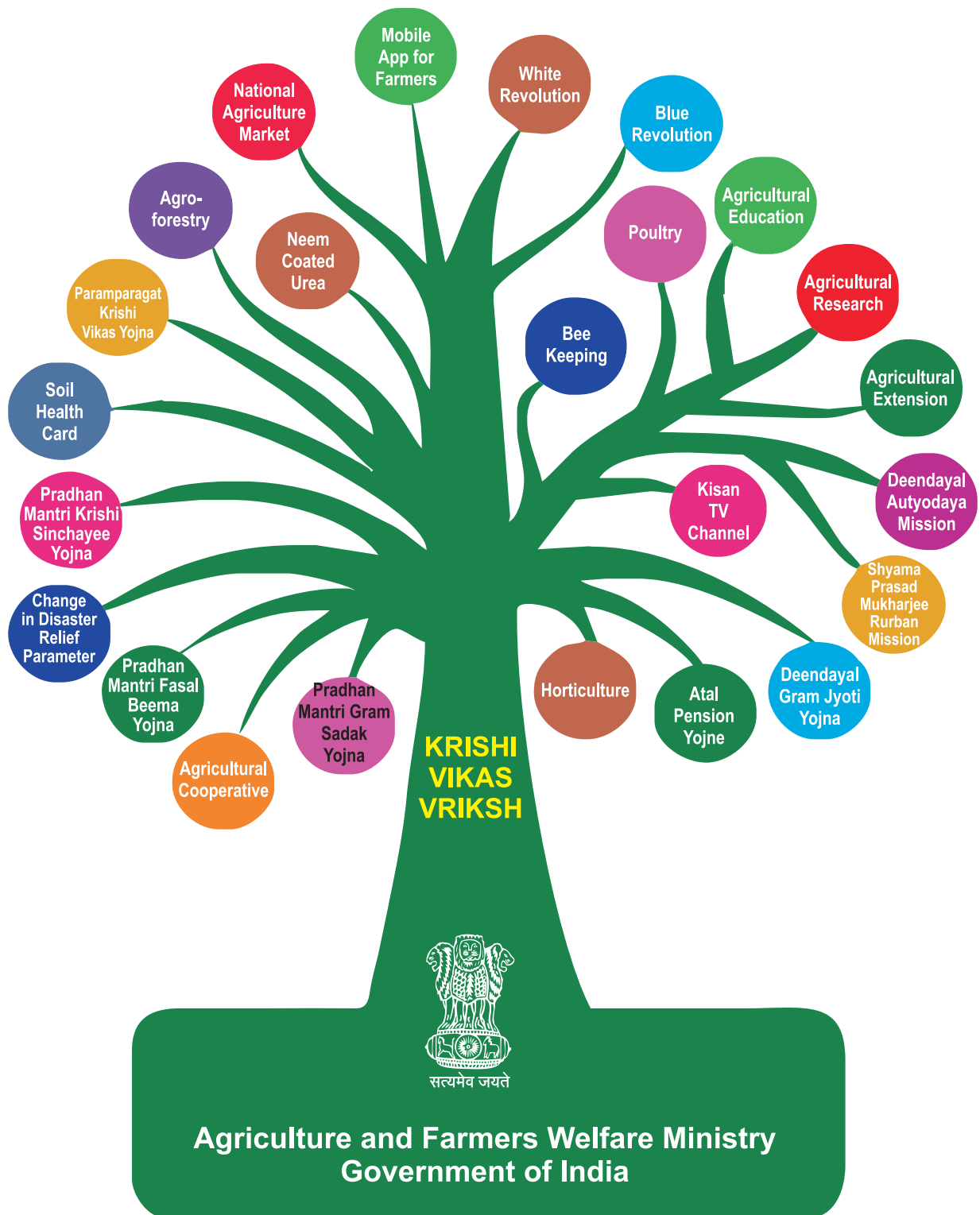
सीसीएस नियाम के जनादेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये और व्यापक ग्राहकों तक पहुंचने के लिये तीन केन्द्रों की स्थापना की गयी हैं। ये केन्द्र कृषि विपणन में वर्टिकल के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सरकारों के लिये प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श, शिक्षा और नीति निर्धारण (टीआरसीईपी) आदि कार्यान्वित करना।



1.7 प्रेरित क्षेत्र या महत्वपूर्ण क्षेत्र

सीसीएस नियाम ने अपने कार्यकलापों को मंत्रालय द्वारा कृषि विकास वृक्ष के माध्यम से चिन्हित किये गये क्षेत्रों के साथ समावेशित किया है। निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है:—

1. राष्ट्रीय कृषि बाजार
2. विशेषतौर पर किसानों के लिये अभिकल्पित किये गये शैक्षिक कार्यक्रम
3. बागवानी फसलों का विपणन
4. उच्च मूल्य वस्तु जैसे जैविक उत्पाद के लिये विपणन रणनीतियां
5. कृषि जिनसों की विस्तृत मूल्य श्रृंखला का विप्लेषण
6. भविष्य एवं अग्रोपित बाजार और वस्तु समाषोधन केन्द्र
7. कृषि विपणन एवं कानूनी सुधार
8. जैविक, औषधीय एवं सुगंध पौधे
9. बाजारजन्य कृषि का विस्तार
10. किसान उत्पादक संगठन
11. भंडारण और गोदाम
12. पराक्रम्य भंडारगृह रसीद और उसके लाभ



2. प्रशिक्षण गतिविधियां

व्यापक स्तर पर हितधारकों के लिये कृषि विपणन और संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में संस्थान लगातार शामिल रहा है। हाल ही के वर्षों में संस्थान ने किसानों के लिये शिक्षा पर ध्यान देने के साथ ही कार्यक्रम विकसित किये हैं ताकि उन्हें बाजार के साथ जोड़ा जा सकें और अपनी उपज का उचित लाभ उठा सकें। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 122 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 4148 हितधारकों को प्रशिक्षित किया गया।

विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिये संस्थान ने कृषि विपणन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान देने के लिये अलग-अलग साधनों को अपनाया था। सीसीएस नियाम द्वारा वर्ष 2017-18 में आयोजित किये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुलग्नक-5 में दर्शाया गया है।

2.1 सहयोग

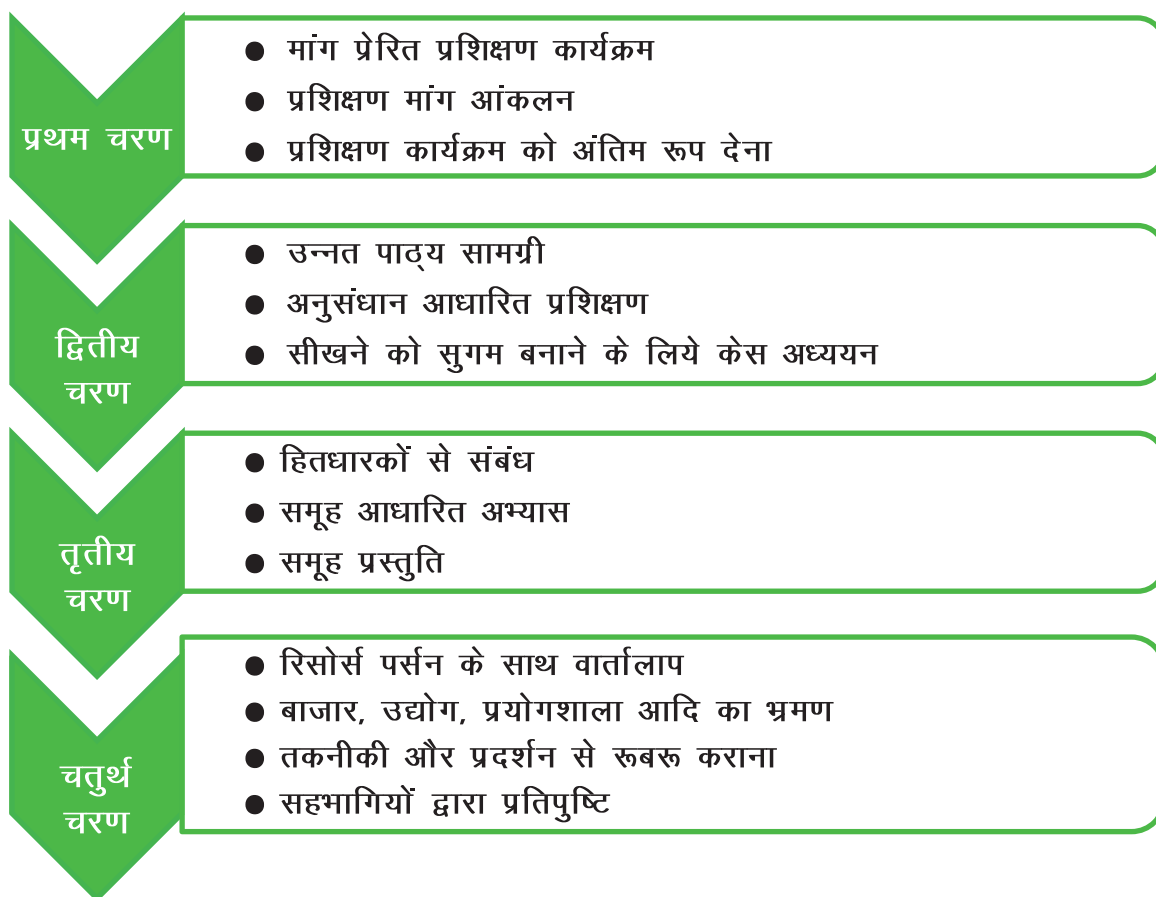
स्थानीय भाषा में सामग्री वितरित करके बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिये और स्थानीय रूप से उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए संस्थान ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठनों के साथ सहयोग स्थापित किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय के लिये संस्थान ने निम्नलिखित संस्थानों/विश्वविद्यालयों/एजेंसियों से सहयोग स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका एजेन्सी

- केन्द्रीय औषधीय एवं संगंध पादप संस्थान, लखनऊ, यूपी
- एनईएच क्षेत्र के लिये आईसीएआर अनुसंधान संकुल
- आसाम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट
- कृषि एवं पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी कॉलेज, गंगटोक
- सगन्ध एवं सुरस विकास केन्द्र, कन्नौज, यूपी
- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर
- आईसीएआर अनुसंधान केन्द्र, त्रिपुरा
- बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड), लखनऊ
- भंडारण विकास एवं विनियम प्राधिकरण, नई दिल्ली
- आन्ध्र प्रदेश राज्य भंडारण प्राधिकरण, हैदराबाद
- राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली
- एस.एफ.ए.सी, मणिपुर
- एस.एफ.ए.सी, गुवाहाटी
- आई.आई.टी. रुड़की
- आई.आई.पी.एम. बेंगलूर
- राज्य कृषि विपणन बोर्ड
- मैनेज, हैदराबाद
- कोसाम्ब

2.2 प्रशिक्षण प्रक्रिया

संस्थान ने विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रशिक्षण प्रणाली का अनुसरण किया है जो कि निम्न चित्र द्वारा दर्शायी गयी है। विभिन्न हितधारकों की आवश्यकता के आधार पर एवं प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन से प्राप्त इनपुट के अनुसार सीसीएस नियाम अपनी प्रशिक्षण पद्धति का निर्धारित करता है। तदनुसार प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है ताकि कृषि विपणन प्रक्रिया के अंतिम बिन्दु पर बैठे हुए हितधारक को सूचना पहुंच सके। इस पद्धति के आधार पर हितधारकों को जागरूक एवं संवेदिकरण किया जाता है।

चित्र-I

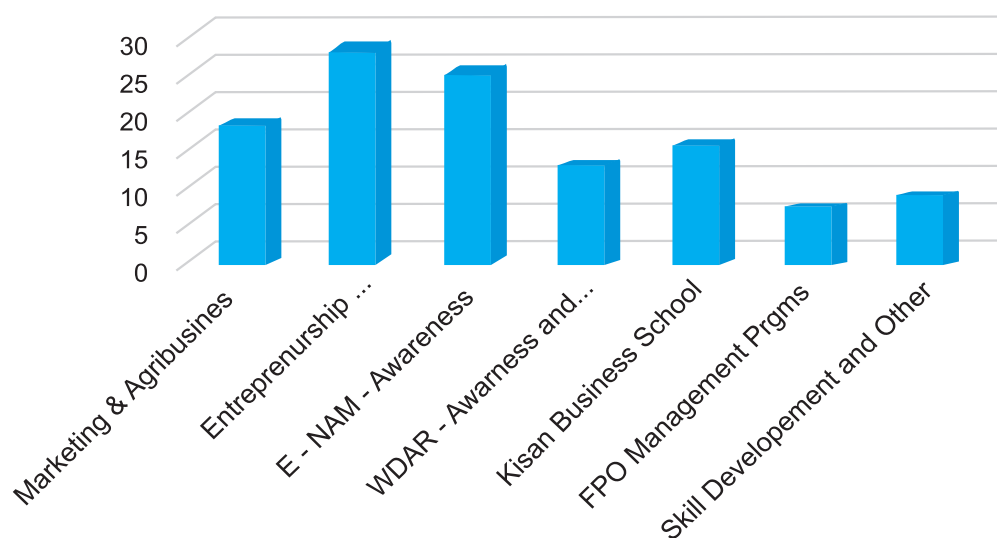


2.3 कार्यक्षेत्र व्याप्ति

सन् 1990 के दौरान कृषकों का रुझान उच्च मूल्य की फसलों फल एवं सब्जी की तरफ आया है इसका मुख्य कारण इन फसलों की कीमतों में आये उछाल की वजह से है। किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों की तरफ उन्मुख करने में कृषि विपणन महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह नीति निर्माताओं और पेशेवरों के लिये कुशल कृषि विपणन प्रणाली विकसित करने में मदद करने के लिये रणनीतियों का विकास करना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए सीसीएस नियाम ने विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसको आकृति-2 में दर्शाया गया है।

- राष्ट्रीय कृषि बाजार
- फसल बीमा
- कृषि व्यापार अवसर
- किसान शैक्षिक कार्यक्रम
- फलों और सब्जियों में उभरता रुझान
- कृषि भंडारण और वैज्ञानिक गोदाम या भंडारण
- मूल्य श्रृंखला विश्लेषण
- मूल्य श्रृंखला विकास
- जैविक उत्पाद के लिये विपणन रणनीति विकसित करना
- औषधीय पौधों का विपणन
- किसान उत्पादक संगठन
- चाय, कहवा एवं रबर का विपणन
- बाजार आधारित कृषि प्रसार
- कौशल विकास कार्यक्रम
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम

Figure-II Number of training Programmes (2017-18)



2.4 कार्यक्रमों का राज्यवार वितरण

संस्थान के परिसर में कार्यक्रमों को संचालित करने की सुविधा है। हालांकि व्यापक भागेदारी सुनिश्चित करने और किसानों तक पहुंच सुगम बनाने के लिये संस्थान स्थानीय संस्थानों से मिलकर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित करता है।

2.5 प्रमुख प्रशिक्षण उपलब्धियां

2.5.1 अन्तराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम –

“फीड द फ्यूचर इंडिया ट्रायंगुलर” प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 से 13 जनवरी, 2018 की अवधि में “किसानों को बाजार से जोड़ना : अवसर एवं चुनौतियां” विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सीसीएस नियाम, जयपुर द्वारा “फीड द फ्यूचर इंडिया ट्रायंगुलर” प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 से 13 जनवरी, 2018 की अवधि में “किसानों को बाजार से जोड़ना : अवसर एवं चुनौतियां” विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



प्रतिभागियों का वर्णन

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एशिया एवं अफ्रिका के 7 देशों के 20 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। प्रतिभागियों की संख्या एवं प्रतिनिधि देशों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

क्र. संख्या	देश का नाम	प्रतिभागियों की संख्या
1	कम्बोडिया	3
2	कांगो	3
3	घाना	1
4	केन्या	3
5	लाईबेरिया	4
6	मलावी	4
7	युगाण्डा	2
	योग	20

सभी अधिशाषी अधिकारी विभिन्न कार्यक्षेत्रों से संबंधित थे जैसे कृषि अधिकारी, कृषि व्यवसाय अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी, लेखा एवं योजना अधिकारी, वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पशुधन अधिकारी, ऋण अधिकारी, प्रशिक्षण अधिकारी, परामर्शदात्री सेवायें एवं महिला उद्यमी समूह शामिल थे। यह सभी प्रतिभागी सरकारी, गैरसरकारी संगठनों एवं विकास क्षेत्र से संबंधित थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 20 प्रशिक्षणार्थियों में 10 महिला प्रशिक्षणार्थी भी थी।

इस द्वितीय यू.एस.-इण्डिया ट्रायंगुलर प्रशिक्षण कार्यक्रम "फीड द फ्यूचर" – "किसानों को बजार से जोड़ना : अवसर एवं चुनौतियाँ" का उद्घाटन 9 जनवरी, 2018 को महानिदेशक, नियाम द्वारा किया गया। महानिदेशक नियाम ने उद्घाटन सत्र के दौरान दिये गये भाषण में विभिन्न समस्याओं उद्देश्यों एवं कार्य पद्धति का कृषि व्यवसाय के लिए विश्लेषण प्रतिभागी देशों में उपस्थित कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया।



- कार्यक्रम के बिन्दुओं को पूर्ण करने के लिए 22 कक्षा सत्रों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संचालन के दौरान 17 विषय विशेषज्ञों एवं रिसोर्स पर्सन को आमन्त्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सत्रों का संचालन विभिन्न आमन्त्रित विशेषज्ञों एवं कॉर्पोरेट विशेषज्ञों जो कि एनसीडीएक्स, सीएफटीआरआई, एनसीसीडी एवं प्रीमियम फार्म फ्रेस से आमन्त्रित किये गये।
- कार्यक्रम के दौरान दो पैनल संवाद का आयोजन किया गया जिनमें से एक ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर वाया डिजिटल टेक्नोलॉजी और दूसरा कृषक उत्पादक संगठनों को बाजार से जोड़ना आदि विषय पर थे।
- कार्यक्रम के दौरान प्रक्षेत्र भ्रमण, थोक व्यापार बाजार जयपुर के भ्रमण के अलावा अक्षय पात्र द्वारा पीपीपी मॉडल पर संचालित मिड डे मील को भी दिखाया गया।

“फीड द फ्यूचर इंडिया ट्रायंगुलर” प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत फल एवं सब्जियों के विपणन में उभरते रुझानों को समझने के लिए एक फिल्ड ट्रिप का आयोजन किया जिसमें प्रतिभागियों को मुहाना टर्मिनल मण्डी जो कि जयपुर में स्थित है का भ्रमण कराया गया। जयपुर की मुहाना मण्डी एक थोक एवं फुटकर मण्डी है जहां पर उत्पादक अपनी उपज को वेन्डर्स को सीधे बेच सकते हैं। 9 से 13 जनवरी, 2018 की अवधि में “किसानों को बाजार से जोड़ना : अवसर एवं चुनौतियां” विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



मुहाना मण्डी का क्षेत्रफल 800 हैक्टेयर है और यह जयपुर में स्थित है। इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को मण्डी में होने वाली जिन्सों की निलामी से अवगत कराना था।



श्री बंकर रॉय, चेयरमेन, बेयरफुट कॉलेज के साथ प्रतिभागियों का वार्तालाप

विभिन्न विषयों जैसे किसान उत्पादक संगठनों के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना जीविका को बढ़ावा देना शोसल मीडिया का बाजार सूचना के लिए उपयोग करना, कसावा चिप्स के लिए एग्रीलोजिस्टिक संगठित करना, भंडारण संगठित करना, किसानों के समूह एवं संगठनों को मजबूत करना, सूक्ष्म ऋण पद्धति से कृषकों को जोड़ना, छोटे हितधारकों के लिए विपणन पद्धति स्थापित करना आदि विषयों को सम्मिलित करते हुए “बेक टू वर्क प्लान” बनाया गया।

समापन समारोह

“फीड द फ्यूचर इंडिया ट्रायंगुलर” प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफटीएफ-आईटीटी) – “किसानों को बाजार से जोड़ना : अवसर एवं चुनौतियां” विषय पर आयोजित कार्यक्रम का समापन समारोह 23 जनवरी, 2018 को किया गया।

एच. ई. वासफी हसन, ई. आई.— श्रीहीन, महासचिव इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। अपने मुख्य भाषण में अफ्रीकन एवं एशियन देशों के मध्य विश्वव्यापी सहयोग पर खुशी जाहिर की।

2.5.2 कौशल विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम:

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सीसीएस नियाम को कौशल विकास के अन्तर्गत जॉब रोल “वेयरहाउस वर्क्स” एवं



एच ई वासफी हसन, ई. आई.— श्रीहीन, महासचिव

“सप्लाई चेन फील्ड असिस्टेंट” पर 200 घंटे की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम करने हेतु जिम्मेदारी दी। मुख्यालय द्वारा इन कार्यक्रमों हेतु कुल रु. 3,30,400 / – की वित्तीय सहायता दी गयी। कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत 200 घंटे की अवधि के दो कार्यक्रमों का सीसीएस नियाम द्वारा सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 40 बेजरोजगार युवाओं द्वारा भाग लिया गया जो कि सीकर, झुंझनू, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर टोंक एवं जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से थे।



कार्यक्रम की पेडागॉगी में 70 प्रतिशत प्रशिक्षण प्रायोगिक किया गया जबकि 30 प्रतिशत कक्षा में पावर पॉइंट प्रजेंटेशन, समूह चर्चा, केश स्टडी एवं सॉफ्ट स्किल के माध्यम से दिया गया। दोनों कार्यक्रमों की विषय वस्तु को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम वर्क के साथ एन.एस.डी.सी. एवं ए.एस.सी.आई. समरेखित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को “वेयरहाऊस वर्क्स एवं सप्लाई चेन फील्ड असिस्टेंट” जॉब रोल की जमीनी हकीकत से रूबरू कराया।



2.5.3 किसान व्यवसाय विद्यालय

सीसीएस नियाम ने कृषकों में कृषि व्यवसाय हेतु रुझान जागृत करने हेतु किसान व्यवसाय विद्यालय के सिद्धान्त से कृषकों का परिचय कराया। किसान व्यवसाय विद्यालय हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिनमें इच्छुक संस्थायें जो सीसीएस नियाम के साथ सहयोग करना चाहती हैं, को आमन्त्रित किया गया। सीसीएस नियाम ने चालू रबी मौसम के दौरान किसान व्यवसाय विद्यालय का बिहार, आन्ध्रप्रदेश एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आयोजन किया।

- (i) **किसान व्यवसाय विद्यालय के अन्तर्गत कार्यशाला :** किसान व्यवसाय विद्यालय को लागू करने हेतु दिनांक 29 से 31 अगस्त, 2017 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें 6 रुचि रखने वाले कृषि विश्वविद्यालयों एवं केन्द्रों ने भाग लिया।
- (ii) **प्रशिक्षण कार्यक्रम :** किसान व्यवसाय विद्यालय को संचालित करने वाले अधिकारियों की क्षमता विकास हेतु एक ओरियन्टेशन कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 18 से 19 सितम्बर, 2017 को हैदराबाद में किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबोर, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहोरी, श्रीराम प्रतिष्ठान, सोलापुर एवं सेन्टर फोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सिकन्दराबाद से थे।

(iii) **केबीएस फेसिलिटेटर मेन्युअल** : फेसिलिटेटर के लिए एक मेन्युअल बनाया गया जो कि किसान व्यवसाय विद्यालय से जुड़े हुए थे ताकि कृषकों को सिद्धान्तों के बारे में समझाया जा सके।

(iv) **जिला भागलपुर में किसान बिजनिश स्कूल का उद्घाटन** : जिला भागलपुर के नाथ नगर प्रखण्ड के गांव कंझिया में दिनांक 23.11.2017 को किसान व्यवसाय विद्यालय का श्रीगणेश किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. ए. के. सिंह, माननीय कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबोर थे। केबीएस एक ऐसा प्रयास है जिसमें समान विचारधारा वाले कृषकों को एक तल पर लाया जा सके। बीएयू, सबोर ने किसान व्यवसाय विद्यालय का आयोजन भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखण्ड के गांव कंझिया में सीसीएस नियाम के सहयोग से किया। केबीएस की शुरुआत करने के लिए गांव के 35 से 40 सब्जी उत्पादक किसानों का रबी मौसम के लिए चयन किया।

2.5.4 गोष्ठी / संवेदीकरण कार्यशाला

(i) **सहयोगी संस्थानों के साथ संवेदीकरण कार्यशाला :**

सीसीएस नियाम ने दिनांक 06.10.2017 को एक संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम की पद्धति एवं प्रशिक्षण नियमावली पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में एफएफडीसी कन्नौज, एनआईपीएचटी, पूणे, निफटेम, कर्नाटक राज्य कृषि विपणन बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं एसएफएसी के अधिकारियों ने भाग लिया।



(ii) **संगंध एवं औषधीय पौधों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी :** "

संगंध एवं औषधीय पौधों का विपणन—चुनौतियां एवं अवसर" पर सीसीएस नियाम ने एसएफएसी क्षेत्रिय कार्यालय, गुवाहाटी के सहयोग से गुवाहाटी एवं शिलांग में पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु दो राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं—

क्रम संख्या	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या	स्थान
1.	27.02.2018	117	गुवाहाटी
2.	18.03.2018	117	आईसीएआर परिसर, शिलांग

2.5.5 राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पर विपणन सचिवों एवं व्यापारियों हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम

(i) राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पर बाजार सचिवों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय कृषि बाजार की अवधारणा पर बाजार सचिवों के लिए कुल तीन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों को राजस्थान सरकार के विपणन निदेशालय द्वारा मनोनीत किया गया था। कार्यक्रम मुख्य रूप से कृषि व्यापार में प्रचलित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्यों पर विचार करते हुए राष्ट्रीय बाजार जैसी अवधारणा की आवश्यकता पर प्रतिभागियों को उन्मुख करने का लक्ष्य रखा गया। प्रतिभागियों को प्रत्येक हितधारक के लिए ई-नाम के तहत उपलब्ध विभिन्न प्रकार के लाभों पर भी प्रशिक्षित किया गया ताकि उन्हें योजना में भाग लेने के लिए सभी को समावेशित करने में मदद मिल सके।

(ii) व्यापारियों एवं अन्य हितधारकों के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार पर प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम

संस्थान ने व्यापारियों एवं अन्य हितधारकों के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार पर 25 प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये। कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यह था कि व्यापारियों एवं अन्य हितधारकों को ई-नाम की ओर समावेशित एवं उन्मुख करते हुए कैसे लाभ दिलाया जाए। कार्यक्रम का विवरण अनुलग्नक-5 में उपलब्ध है।

2.5.6 स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक दिवसीय दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन क्रमशः मुहाना मंडी, जयपुर एवं कृषि उपज मंडी, श्रीमाधोपुर में किया गया ताकि किसानों, मंडी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मंडी की सफाई के बारे में जागरूक किया जा सके। इन कार्यक्रमों में 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



3. शोध अध्ययन/केस स्टडी

सीसीएस नियाम ने अपने आदेश पत्र के अनुसार विभिन्न समकालीन कृषि विपणन से संबंधित शोधों पर ध्यान केन्द्रित किया है जो कि न केवल नीति निर्माताओं को लाभान्वित करते हैं बल्कि नियाम द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न हितधारकों को भी लाभ पहुंचाते हैं। इन शोधों द्वारा प्राप्त परिणामों से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषयवस्तु निर्धारित करने में मदद मिलती है। वर्ष 2017-18 में सीसीएस नियाम ने कृषि विपणन के विभिन्न पहलुओं पर कुल 09 शोध अध्ययन किये।

3.1 वर्ष 2017-18 में किये गये शोध अध्ययनों की सूची

क्र. संख्या	शोध अध्ययन एवं केस स्टडी का शीर्षक	समन्वयक
1.	दिलीप उद्योग – ए केस स्टडी ऑन वर्किंग केपिटल मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेन्योरसिप	श्रीमती इरीना गर्ग, महानिदेशक
2.	बीज उत्पादक की सफलता की कहानी – श्री बजरंग लाल शर्मा	डॉ. एस. आर. सिंह उपनिदेशक
3.	दि सीट ऑफ फार्मर्स ट्रस्ट-कृषि उपज मंडी समिति, बरौड़ा	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
4.	कृषक उत्पादक कम्पनी-एक खेल परिवर्तक	डॉ. शुची माथुर सहायक निदेशक
5.	कृषि एक व्यवसाय- एक भूमिहीन किसान की यात्रा	डॉ. शैलेन्द्र सहायक निदेशक
6.	रूरल ब्राण्डिंग टू स्टे कम्पेटिटिव- इंजन ब्राण्ड सरसों का तेल	डॉ. हेमा यादव निदेशक
7.	लिकिंग फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कम्पनी टू कमोडिटी एक्सचेंज- ए केस स्टडी ऑफ समृद्धि महिला क्रॉप प्रोड्यूसर्स कम्पनी लि., बूंदी, राजस्थान	डॉ. हेमा यादव निदेशक
8.	ए केस स्टडी ऑफ लिकिंग फार्मर्स टू कमोडिटी एक्सचेंज- ए केस ऑफ राजेश्वर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कम्पनी लि., थराड़, गुजरात	डॉ. हेमा यादव निदेशक
9.	प्याज की कीमतों के उतार-चढ़ाव का विश्लेषण	डॉ. हेमा यादव निदेशक

3.2 केस अध्ययनों की सूक्ष्म जानकारी

- दिलीप इंड्रस्टीज/उद्योग: कार्यशील पूंजी प्रबंधन एवं उद्यमिता पर केस अध्ययन** – वृत्तान्त में व्यापार की शुरुआत और व्यापार की वृद्धि अत्याधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में सामना करने वाली वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केस अध्ययन का मुख्य ध्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी की वित्तीय चतुर दृष्टि है जो कि उत्पादन के मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में किफायत और विपणन एवं व्यक्तिगत खर्चों में पारदर्शिता का पालन करता है। व्यापार में विस्तार के लिये लगभग 80 प्रतिशत लाभ को फिर से निवेश किया गया था। मूल्य में कटौती ऋणदाता, ग्राहकों एवं कर्मचारियों के साथ गुणवत्ता एवं विश्वनीयता के साथ बिना समझौता किये की गयी थी। कर्मचारियों की मजदूरी व्यापार में प्रगति एवं लाभ से जोड़ी जाती थी जिससे निश्चित प्रचालन लागत कम की जा सके। मूल्य का समझदारीभरा आवंटन विपणन और उत्पादन में जोखिम को बचाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय डिजाईनर को नियुक्त करके एवं उत्पादन से पूर्व आदेश लेने द्वारा की जाती थी। उन्होंने ग्राहक को हानि पहुंचाने अथवा गुणवत्ता से समझौता करने की अपेक्षा अल्प अवधि हानियों के बरदाश्त करने को चुना।

- ii. **बीज उत्पादक की सफलता की कहानी— श्री बजरंग लाल शर्मा** — वे पिछले 14 वर्षों से सरसों, पालक, तुरई, बाजरा और चारा और बीजों के लिये ज्वार की खेती कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पालक, धनिया और तुरई के बीज की खेती की शुरुआत की थी और अब इसको अन्य फसलों को विस्तारित कर दिया है। इसके अतिरिक्त सफलता का फल चखने के बाद उन्होंने बीज उत्पादन के लिये अन्य किसानों से जमीन किराये पर लेने का प्रबंध किया। यह बाजार से बीज की मांग पर निर्भर करता है। उसके अनुसार निकटस्थ किसानों से 60–70 एकड़ जमीन को किराये पर लेने का निर्णय लेते हैं। स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता से युक्त होने के कारण वे अपने उद्यम में सच्चे प्रयासों और कठिन मेहनत पर विश्वास करते हैं। गाँव में अन्य किसान खेती में उनकी दृढ़ता एवं अनुभव का सम्मान करते हैं। जब गाँव में कोई किसान परेशानी में होता है वे उसकी समस्या के समाधान होने तक उसके साथ रहते हैं। यही कारण है कि वे स्मरणीय सफलता के साथ मुख्य किसान बने हैं। वे उस क्षेत्र में एक मात्र बीज उत्पादक हैं जोकि बीज उत्पाद व्यवसाय करके एक सफल कृषि उद्यमी में बदले हैं।
- iii. **किसान विन्यास का स्थान: कृषि उत्पाद बाजार समिति, बड़ौदा** — यह कहानी गुजरात राज्य के बड़ौदा में सबसे सफल एपीएमसी की है। समूह प्रबंधन एवं प्रशासन किसानों की तरह व्यापारियों के विश्वास को किसानों एवं व्यापारियों द्वारा आवश्यक तकलीफ रहित एवं कम तनाव युक्त लेन—देन या व्यवहार के साथ सभी आधारभूत एवं दुलाई संबंधी सुविधाओं के साथ एक बहुत बड़े बाजार यार्ड प्रांगण की पुनः स्थापना कठोर परिश्रम करके की गयी है। एपीएमसी, बड़ौदा की परिकल्पना, योजना संरक्षण एवं कार्यान्वयन गतिविधियां प्रशंसनीय और इसके विकास की कहानी पढ़ने योग्य है।
- iv. **किसान उत्पादक कंपनी: एक व्यवसाय परिवर्तक** — छोटे एवं सीमान्त किसानों की जीविका उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण खतरे में आ गयी थी किन्तु बहुत सारे अवसर कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी के लिये पैदा किये गये हैं। किसान उत्पादक संगठन एवं उत्पादक कंपनियां भारत में उच्च मूल्य बाजारों जैसे आधुनिक खुदरा क्षेत्र और निर्यात बाजार में भाग लेकर इन छोटे एवं सीमान्त किसानों की मदद कर सकती हैं। संगठनों की विपणन प्रणालियों में बदलाव के साथ छोटे एवं सीमान्त किसानों के लिये नये चुनौतियों रच दी गयी हैं। अधिक अस्थिरता एवं प्रतिस्पर्धा के वातावरण संयुक्त गतिविधि किसानों की प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधि अधिक और प्रगतिशील बाजार अवसरों में उनके लाभ को बढ़ा सकती है। राजस्थान के अजयमेरू किसान उत्पादक संगठन का वृत्तान्त अध्ययन एफपीज के संभव लाभों उनके अधिकार और छोटे और सीमान्त किसानों की आय बढ़ोत्तरी पर विचार विमर्श करती है।
- v. **एक उपक्रम के तौर पर कृषि: भूमिहीन किसान की एक यात्रा** — वृत्तान्त महेन्द्र सैनी के खेती का एक उद्यम के रूप में करने और मौकों को भुनाने, लाभ कमाने और प्रभावी निर्णय लेने और कुशल प्रबंधन के माध्यम से जुड़े जोखिमों को कम करने की क्षमता को दर्शाता है। कृषि से जुड़ी अनिश्चितताओं के तहत महेन्द्र सैनी निर्णायक निर्माण क्षमता ने उन्हें एक प्रभावशाली उद्यमी बनने के लिये चुना। उन्होंने निवेश का कार्य करने वाली एक स्थापित कंपनी से नौकरी छोड़ दिया और खेती/ कृषि सीमित संसाधनों और बिना भूमि के साथ अपने भाग्य को आजमाया। उन्होंने स्वयं को प्रथम कार्यवाही के सिर्फ तीन वर्षों को स्थापित कर दिया और प्रस्तावित किया कियदि व्यवसाय के रूप में कल्पना और कार्यान्वयन किया जाय तो कृषि/ खेती लाभकारी है। उन्हें महसूस होता है कि कृषि भूमि, वित्त एवं अन्य संसाधनों के बारे में बहुत कुछ नहीं है बल्कि ज्ञान, निर्णय लेने, कड़ी मेहनत और सही परिप्रेक्ष्य में जोखिम उठाना है।

- vi. **प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिये ग्रामीण ट्रेड-मार्क-इंजन ब्रांड सरसों का तेल** — 1959 में एक समय के दौरान जब ब्रांडिंग एक जागरूक विपणन गतिविधि नहीं थी सरसों के तेल इंजन के तौर पर ब्रांड किया गया था। ब्रांडस साधारण थे और प्रसिद्ध वस्तुये थीं जिनको लोग शिप, रोबिन, पैरट और लायन इत्यादि से पहचान करते थे। श्री हरि ऑयल मिल की स्थापना भारतपुर के पास मीटरगेज रेलवे ट्रैक के पास की गयी थी। भारतपुर जंक्शन में एक दिन में कई इंजन रुकते थे और उद्योगों के इलाके का शक्तिशाली कारक था। भूपेश अग्रवाल, हरि वेजीटेबल ऑयल बताते हैं कि उनके दादाजी के दिमाग में इंजन एक ब्रांड के रूप में आया था। कारखाने के दोनों ओर इंजनों का शोर भी संभवतः इंजन ब्रांड सरसों के तेल की प्रेरणा थी।

इंजन ब्रांड सरसों का तेल श्री हरि इंडस्ट्रीज द्वारा लांच किया गया था और एक जानामाना ब्रांड है जोकि उत्तर-पूर्व भारत में पिछले 58 वर्षों से कच्चीघानी सरसों का तेल के ग्राहकों के लिये मुख्य ब्रांड है। कच्ची घनी बीज से तेल निकालने के लिये ठंडी प्रेस निष्कर्षण प्रक्रिया को संदर्भित करती है।

- vii. **वस्तु आदान-प्रदान से किसान उत्पादक कंपनियों को जोड़ना** :

समृद्धि महिला फसल उत्पादक कंपनी लिमिटेड (एसएमसीपीसीएल) बूंदी, राजस्थान का वृत्तान्त अध्ययन— राजस्थान भारत में तीसरा सबसे बड़ा सोया उत्पादक राज्य है और पिछले कुछ वर्षों से बूंदी सोयाबीन के तेल के मुख्य उत्पादक क्षेत्र विशेष रूप से उभरा है। सोपा के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 बूंदी में सोयाबीन का उपजाऊ क्षेत्र 752 हैक्टेयर है। उत्पादन 688 मीट्रिक टन और उत्पादकता 915 किलोग्राम प्रति



हैक्टेयर था। औसत सोया उत्पादकता इन कारणों से कम थी ए) कम कृषि उत्पादकता और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में आय, आंशिक रूप से नयी तकनीकों के ज्ञान में कमी, उच्चस्तरीय बीजों की उपलब्धता में कमी, उपर्युक्त उपकरणों की कमी, खराब विस्तार प्रणाली और निवेश की कमी; बी) जरूरत पर संस्थानिक साधनों से कम दर पर ऋण की अनुपलब्धता और महाजनों पर निर्भरता; और सी) इनपुट के साथ उत्पादन के विपणन की जानकारी की कमी।

वस्तु आदान-प्रदान प्लेटफार्म किसानों को बाजार संबंध प्रदान करने की एक वैकल्पिक विधि है। वृत्तान्त अध्ययन मार्गदर्शन करता है कि कैसे समृद्धि महिला फसल उत्पादक कंपनी लिमिटेड (एसएमसीपीसीएल) उत्पाद संचित करता है और वस्तु के आदान से जुड़ा था। यह भी उभरी है कि महिला नेतृत्व एफपीओ को संभालने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका की है और इसकी सारी महिला एफपीओ वस्तु व्यवसाय प्लेटफार्म में बड़े तरीके से भाग लेने की इच्छुक हैं।

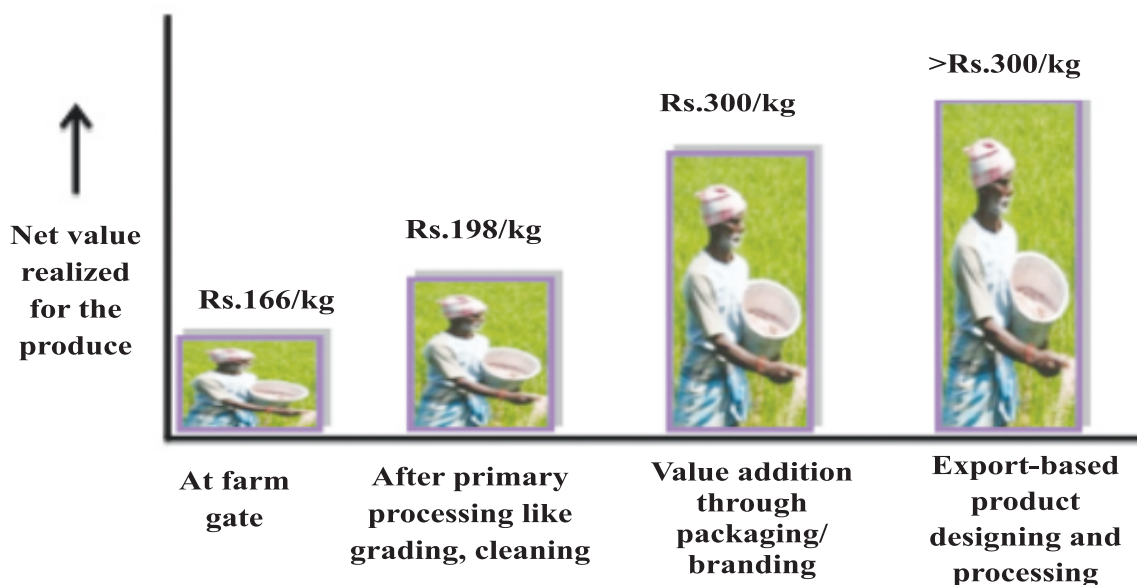


पीजीडीएबीएम छात्रों द्वारा संचालित वृत्तान्त अध्ययन एफपीओ द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां और उनके लिये उपलब्ध अवसरों उपलब्ध करती है। वृत्तान्त अध्ययन बाजार को समझने के लिये छोटे और सीमान्त किसानों को जोड़ने की क्रमिक प्रक्रिया और बचाव-व्यवस्था द्वारा मूल्य और बाजार में वृद्धि कैसे कम कर सकते हैं। वृत्तान्त अध्ययन में सभी महिला एफपीओज की वस्तु आदान-प्रदान पर प्रकाश डाला गया है को अन्य एफपीओज के लिये उदाहरण देने के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

गैर-लाभकारी संगठनों, कंपनियों और कंपनियों के बीच साझेदारी करके लंबे समय तक हाशिये वाले समुदायों के बीच समूह गतिशीलता और नेतृत्व को कैसे विकसित किया जाना चाहिये, इस बारे में अवधारणाओं को सामने लाने के लिये वृत्तान्त अध्ययन का भी कक्षाकक्ष शिक्षण और लोगों के लिये किया जा सकता है।

- viii. वस्तु आदान-प्रदान से किसान उत्पादक कंपनियों को जोड़ना :** राजेश्वर किसान उत्पाद कंपनी लिमिटेड, थाराड, गुजरात-राजेश्वर किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड, थाराड, गुजरात का वृत्तान्त पीजीडीएबीएम द्वारा संचालित एनसीडीईएक्स को प्रस्तुत किया गया था। यह वृत्तान्त अध्ययन दर्शाता है कि कैसे किसान कृषि मूल्य श्रृंखला में चरणों को चढ़ते हुये आर्थिक आय अर्जित कर सकता है। प्रत्येक सीढ़ी के साथ अधिक और अधिक चुनौतियां और जोखिम जुड़ गये हैं जो कि किसी भी मध्यम और लघु किसान के कम दायित्व लेने के लिये सहज हैं। एक किसान उत्पादक कंपनी (एफपीओ) सामूहिक किसानों के रूप में काम करने के लिये व्यक्तिगत किसानों की क्षमता का लाभ उठा सकती है जहां वे रणनीतिक निर्णय ले सकते हैं और खेती में अपने सख्त प्रयासों के लिये योग्य मुनाफा कमा सकते हैं। परंपरागत विपणन प्रणाली के विपरीत जहां किसान अपने उत्पाद को प्रचलित मूल्यों पर मंडी में बेचने को बाध्य हैं, एफपीओज वैकल्पिक बाजार प्रणाली का पता लगा सकते हैं यदि वे बढ़त लेते हैं। शुरुआती दौर में, कृषि व्यवसाय के माहौल में किसानों को अनुकूल बनाने के लिये किसी भी सामूहिक संगठन के हाथ से हिस्सा पूंजी समर्थन की आवश्यकता होती है और एक बार उत्पादक संगठन इसे समझता है सफलता की कोई सीमा नहीं है।

Climbing up the value chain



गुजरात के बनासकंठा जिले में वाव तहसील के 309 किसानों के स्वामित्व वाली आरएफपीसीएल जीरा व्यवसाय के लिये जानी गयी है। श्री दिलीप वानिया (विषय-वस्तु प्रबंधक, आईकेएसएल) के मार्गदर्शन और आईकेएसएल के वित्तीय समर्थन में पहली बार उत्पादक कंपनी जीरे के बहुप्रणाली विपणन से गुजरती है द्वारा एपीएमसी और एनसीडीईएक्स के माध्यम से और खुदरा और निर्यात के माध्यम से इसे बेचने की योजना बना रहा है। एनसीडीईएक्स पर बचाव व्यवस्था के साथ दो लॉट जीरा 10 प्रतिशत अधिक लाभ होता है यदि वे एपीएमसीज को बेचेंगे। यह जब संभव हुआ था जब उन्होंने जैसे सफाई एवं ग्रेडिंग जैसे प्राथमिक प्रक्रियाओं के महत्व को समझा था। आईकेएसएल का हस्तक्षेप ना सिर्फ जीरा किसानों का हौसला बढ़ाता बल्कि कंपनी हिस्साधारक की तरह से कार्य करने में भी सक्षम बनाता है। एनसीडीईएक्स ने बाजार सूचनाएवं विपणन समर्थन उपलब्ध द्वारा किसानों को सुविधा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। अंततः वृत्तान्त महत्वपूर्ण कारक जैसे उन्नयन कौशल, जोखिम लेने, उत्पादक की पहचान करने आदि का उदाहरण देता है जिन्हें जिन्हें उत्पादक समूह द्वारा भविष्य में व्यापार बनाये रखने और उनका विस्तार करने के लिये विचाराधीन रखा जाना चाहिये। यह भी आल-इन-वन समाधान के लिये प्रस्तावित करता है कि भारतीय आदानप्रदान किसानों को उपलब्ध कर सकता है जो कि किसानों द्वारा मूल्य प्राप्ति को बढ़ायेगा।

बाजार संयोजन पर वृत्तान्त अध्ययन एफपीओज के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण सामग्री के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रबंधन के छात्रों के लिये उत्पाद के संग्रह द्वारा मूल्य श्रृंखला के विकास को समझने में भी लाभदायक है और वैकल्पिक विपणन प्रणालियां उनके उत्पाद बाजार का विकल्प उपलब्ध करा सकती हैं।

ix. प्याज के मूल्य अस्थिरता की प्रवृत्ति का विश्लेषण – प्याज बाजार उच्चस्तरीय आपूर्ति और मूल्य अस्थिरता द्वारा परंपरागत तरीके से वर्णन करता है। उच्च प्याज के मूल्य के वर्ष कम प्याज मूल्य के बाद होते हैं जो प्याज उत्पादकों को अपनी उत्पादन मूल्य को ठीक करने की अनुमति नहीं देती है। प्याज की मूल्य अस्थिरता की गंभीरता का निर्धारण कटाई वर्ष के भीतर और ऋतु के भीतर औसत मूल्य में उतार-चढ़ाव से किया जा सकता है। माहवार एवं ऋतुवार औसत कीमतें मूल्य उतार-चढ़ाव पर ध्येय केन्द्रित करती हैं उसी मौसमवार उत्पाद के लिये लाभ के लिये केन्द्रित करती है।

लसलगांव का प्याज बाजार नियाम एवं डीएमआई की टीम द्वारा विपणन एवं मूल्य उतार-चढ़ाव को समझने के लिये किया गया था। विश्लेषण है कि बाजारों में आगमन का तरीका पूरे मास में समान रूप से फैलता नहीं है। या तो अधिकता की समस्या अथवा अभाव की समस्या है। खरीफ फसल एपीएमसी बाजार में नवम्बर के दूसरे पखवाड़े के दौरान छोटी मात्राओं में पहुंचना शुरू करती है। नवम्बर में कीमतें सभी मास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती हैं। दिसम्बर और जनवरी के दौरान बाजार प्याज से भर जाता है इन दो महीनों के दौरान औसत आमद वार्षिक आपूर्ति के 40 से 42 वर्ष तक पहुंच जाती है। फरवरी के महीने में हालांकि पिछले महीनों की तुलना में आगमन में आधी गिरावट आई है यह खरीफ ऋतु का अंत है कीमतें कम मांग और प्याज की थोड़ी कम गुणवत्ता के कारण एक अलग सहजता को दर्शाती है। मार्च में



खराब आमद के चलते कीमतें और भी कम हो जाती हैं क्योंकि व्यापारियों ने अगले महीने खरीदारी को स्थगित करना पसंद किया है जब रबी फसल पूरी तरह से प्रवेश करती है। कुल वार्षिक आपूर्ति में से आपूर्ति का 60 प्रतिशत गर्मी अप्रैल एवं मई के महीनों में होती है। यह एक अच्छी गुणवत्ता, उच्च फसल संग्रहणीय उत्पाद है, इसलिये प्रचुर मात्रा में मात्रा मूल्य घटाने वाले कारक के रूप में कार्य करती है। इन महीनों में कीमतें अन्य महीनों से कम होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक माह में आमद में परिवर्तनों की मूल्य प्रतिक्रिया अलग भिन्न है।

आपूर्ति में कमी का प्रबंधन करने के लिये प्याज के लिये बेहतर बाजार आधारभूत संरचना विशेष रूप से भंडारण की आवश्यकता है। भविष्य मूल्य के लिये सक्षम होने के लिये भी एक बाजार सूचना प्रणाली की आवश्यकता भी आवश्यकता और प्याज के स्थिर बाजार के लिये मांग है।

4. परामर्शदात्री परियोजनाएं

4.1 एमआईडीएच – के तहत राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी

संस्थान ने बागवानी फसलों और मूल्य श्रृंखला की अवधारणा के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमता की पहचान की है ताकि किसानों को गुणवत्तायुक्त का उत्पादन करने और बाजार के साथ एकीकृत करने में मदद मिल सके। तदनुसार एमआईडीएच के लिए राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के रूप में संस्थान ने मेघालय असम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विपणन रणनीतियों के विकास के लिए अध्ययन किए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चयनित बागवानी फसलों की निर्यात क्षमता का विश्लेषण किया गया था। मखाना जैसी फसलों में बिहार जैसे राज्यों में कृषि विकास के लक्ष्य को समझने की अत्यधिक क्षमता है। तदनुसार मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण के बाद मखाना के विभिन्न उत्पादन और विपणन पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए संस्थान द्वारा एक अध्ययन किया गया।

किसानों द्वारा बाजार में बेहतर पहुंच के लिए मूल्य श्रृंखला के महत्व को समझना एवं प्रमुख वस्तुओं के मूल्य श्रृंखला निर्धारण को एमआईडीएच और राज्य समन्वयकों को प्रस्तुत किया गया था

क.सं.	कमोडिटी	जिला	राज्य
1	लीची	मुजफ्फरपुर	बिहार
2	कीवी	लोअर सुबानसिरी	अरुणाचल प्रदेश
3	अनानास	इम्फाल	मणिपुर
4	अनानास	अनोकोटी और धलाई	त्रिपुरा
5	सेब	अलमोडा/उत्तराकाशी	उत्तरांचल

- मूल्य श्रृंखला के अध्ययन से संकेत मिलता है कि अधिकांश बागवानी फसलों में उच्च बाधाओं और मार्जिन एवं व्यापक मूल्य में उतार-चढ़ाव बड़ी संख्या में मध्यस्थों भंडारण और परिवहन की बाधाओं और अन्य विपणन आधारभूत संरचनाओं की कमी जैसी गंभीर बाधाओं से ग्रस्त हैं।

- बाजार अपूर्ण खंडित हैं और विपणन कार्यों को अपर्याप्त रूप से निष्पादित कर रहे हैं।
- मार्केटिंग चैनल में बड़ी संख्या में मध्यस्थों के अस्तित्व के कारण उत्पादकों को उपभोक्ता रुपया में उचित हिस्सेदारी से वंचित कर दिया गया है।
- बाजारों की अनुपलब्धता मांग और आपूर्ति में मेल खाने से भारी नुकसान होता है
- शीत श्रृंखला / भंडारण की कमी विदेशी बाजारों में किस्मों की जागरूकता दीर्घकालिक निर्यात रणनीति उपयुक्त पैकेजिंग सामग्री मूल्यवर्धन की कमी इत्यादि। उच्च मूल्य प्राप्ति के तरीके में कुछ बाधाएं हैं
- बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए मांग और आपूर्ति को जोड़ने के लिए उचित विपणन रणनीतियों पर नीति दस्तावेज की आवश्यकता है

4.2 मखाना वैल्यू चेन में किसानों के एकीकरण के विश्लेषण पर अनुसंधान

सीसीएस एनआईएम और बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि और किसानों के कल्याण मंत्रालय के बागवानी के एकीकृत विकास पर मिशन के तहत मखाना वैल्यू चेन में किसानों का एक विश्लेषण एकीकरण का अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट 2001-02 में मखाना 20000 हेक्टेयर के एकड़ में उत्पादन में गिरावट के कारणों का विश्लेषण करने का इरादा रखती है 2012-13 में मखाना 13000 हेक्टेयर में हो गया। बिहार में मखाना की खेती से बढ़ते अलगाव की भावना के बारे में रिपोर्ट है। मामला गंभीर है। औद्योगिक विकास की कमी के कारण सार्थक रोजगार का कोई अन्य स्रोत नहीं है।



इसलिये मखाना उगाया जाता है। जहां कुछ पिछड़े जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तालाबों और अन्य जल निकायों में गरीब मछुआरों द्वारा। घरेलू बाजार में निर्यात और उपभोक्ता मांग स्थिर है और कीमतें भी हैं जबकि उत्पादन की लागत बढ़ी है। नतीजतन किसानों की आय में कमी आई है और उन्होंने मखाना की खेती से अलगाव की भावना विकसित की है। उन्हें मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए और मौजूदा मूल्य श्रृंखला में एकीकृत होना चाहिए जो पहले से ही अत्यधिक खंडित है या प्रतिस्पर्धा के निर्माण के माध्यम से बाजार मूल्य को उठाने के लिए एक नई वैकल्पिक मूल्य श्रृंखला में विकसित जा सकता है।

पानी की फसल के रूप में मखाना का फल उसी परिवार के कमल (निलंबुस नुसीफेरा) के पौधे और बीज के बहुत करीब दिखता है इस अंतर को छोड़कर कि कमल की तैरने वाली पत्तियां गोलाकार और ऊपरी सतह पर चिकनी होती हैं मखाना की पत्तियां साथ ही पेट्रीओल और पूरे पौधे बहुत ही छोटे और स्पर्श करने और संभालने में मुश्किल होते हैं।



मखाना मूल्य श्रृंखला में अधिक किसानों का एकीकरण मुश्किल लगता है। उनमें से अधिकतर छोटे और मध्यम किसान हैं जिनका निर्वाह इनकी निर्वाह आय पर रहते हैं और एक जोखिम समूह के साथ एक समान समूह नहीं हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि मखाना वैल्यू चेन खंडित के रूप में या तो किसी भी निजी व्यापारी या किसी भी द्वारा किसानों का न तो संस्थागत एजेंसियों के साथ क्षैतिज और लंबवत एकीकरण नहीं है। अध्ययन से पता चलता है कि इसमें मखाना के व्यापार में लाभ में सुधार करने का दायरा है इसे अधिक से अधिक स्नैक्स भोजन और पौष्टिक भोजन के रूप में विपणन करना। इसके

औद्योगिक उपयोगकर्ताओं और दवाओं में इसे अधिक बेचकर लाभ भी प्राप्त हो सकता है। वर्तमान में बिहार में व्यापारियों ने कच्चे अप्रसंस्कृत रूप में अधिकांश मखाना निर्यात किया है जो उनके समकक्षों के विपरीत हैं जो अब धीरे-धीरे मूल्यवर्धित रूप में इसे अधिक बेच रहे हैं।

बढ़ी मांग बेबी खाद्य पदार्थों स्वास्थ्य पेय और कल्याण और पोषक तत्व देखभाल उद्योग में शामिल होने के लिए अप्रत्याशित क्षमता को प्राप्त करके आ सकती है जो 2020 तक फिक्की 150000 करोड़ रुपये तक बढ़ने के लिए तैयार है। यह मखाना निर्यात के विविधीकरण के माध्यम से आएगी। खाड़ी देशों पर निर्भर रहने के बजाय चीन और जापान आदि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह ऊपरी वर्ग के ग्राहकों द्वारा अक्सर फास्ट फूड समूहों के साथ फ्रैंचाइजी समझौतों में प्रवेश करके मांग को स्थिर कर देगा जो वास्तव में महंगे मखाना को स्नैक्स के रूप में खरीद सकते हैं। यह युवा ब्रांड एंबेसडर को प्रोत्साहित करके और सोशल मीडिया का उपयोग करके जागरूकता पैदा करने के माध्यम से आएगा।

4.3 ओडिशा—लिंकिंग किसान इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स (ईनाम) वर्तमान परिदृश्य और आगामी रास्ता कुशल बाजारों में अच्छी प्रशासन और नीति — बुनियादी ढांचे संस्थानों और सेवाओं की आवश्यकता होती है जो बाजार की जानकारी प्रदान करते हैं ग्रेड और मानकों को स्थापित करते हैं जोखिम का प्रबंधन करते हैं और आय को बढ़ाने और मौजूदा बाजारों और विपणन प्रणाली को राष्ट्रीय बाजारों के साथ एकीकृत करने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करते हैं।

ओडिशा राज्य अपने बाजार को मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय और कृषि बाजारों (ई—नाम) में बदलने के लिए तैयार कर रहा है। इन परिवर्तनों को लाने में मुद्दे जटिल हैं और कृषि समुदाय के साथ—साथ राज्य की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। उभरते हुए परिवर्तनों के साथ एकीकृत करने में चुनौतियों यानी इलेक्ट्रॉनिक बाजार मॉडल अधिनियम गोदाम प्रतिज्ञा ऋण अनुबंध खेती आदि के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी निवेश और विपणन विस्तार पर आधारित होना चाहिए।



केंद्र सरकार ने ओडिशा सरकार से राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) की स्थापना में सुविधा के लिए कृषि उत्पादन बाजार समितियों (एपीएमसी) अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया है ताकि राज्य के मौजूदा एपीएमसी पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के साथ एकीकृत हो सकें। ओडिशा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने पहले चरण में ई-नाम पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए दस बाजारों की पहचान की है। हालांकि, राज्य द्वारा सामना किए जाने वाले ई-एनएएम के माध्यम से बाजारों के एकीकरण को प्राप्त करने में बहुत चुनौतियां हैं –

- (i) कृषि उपज मण्डी में आवक का स्तर कम होना
- (ii) बाजारों में व्यापार की अनुपस्थिति
- (iii) विपणन अवसंरचना की अपर्याप्तता
- (iv) अनुचित स्थानों पर बाजारों की स्थापना

उपर्युक्त संदर्भ के साथ अध्ययन कम आगमन और बाजारों के दिनों के निर्माण के कारणों के लिए जिम्मेदार कारकों को सामने लाता है क्योंकि यह अच्छी तरह से समझा जाता है कि ई-नाम के साथ एपीएमसी के एकीकरण के लिए ये पूर्वापेक्षाएँ हैं। रिपोर्ट में अवलोकन अंतर पर आधारित हैं

अध्ययन एक तरफ राज्य में छोटे अधिशेष के साथ बड़ी संख्या में छोटे धारकों और प्रौद्योगिकी गहन विपणन प्रारूप को लागू करने की चुनौती को चुनौती देने के लिए कार्य योजना का सुझाव देता है। किसानों के व्यवस्थित अभिविन्यास बाजारों के साथ-साथ बाजार और प्रतिस्पर्धी दोनों के लिए बाजार को उत्तरदायी और लाभकारी बनाने के लिए किसानों को राष्ट्रीय ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में जोड़ने में सफल परिवर्तन लाने के लिए पूर्व शर्त होगी।

4.4 किसानों व्यापारियों और दाल मिलर्स के लिए डब्ल्यूडीआरए जागरूकता कार्यक्रम

गोदाम विकास और नियाम को विनियमन प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) ने किसानों की जागरूकता के लिए 10 कार्यक्रम आयोजन करने के लिए आवंटित किये थे, तदनुसार एनआईएएम ने गोदाम (विकास और विनियमन) अधिनियम 2007 की जागरूकता वेयरहाउस रसीद के लाभ और कृषि उत्पाद का वैज्ञानिक संग्रहण पर वर्ष 2017-18 में राजस्थान के 10 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप वेयरहाउस प्रतिज्ञा वित्त का लाभ किसानों को मिल सकेगा।

कार्यक्रम का उद्देश्य

किसानों व्यापारियों और दाल मिल मालिकों को डब्ल्यू (डी एंड आर) अधिनियम वार्तालाप गोदाम रसीदों के लाभ और डब्ल्यूडीआरए पंजीकृत गोदामों में अपने कृषि उपज को स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

पंजीकृत गोदामों के भण्डारगृहकर्मों की क्षमता निर्माण पर कार्यक्रम के दौरान शामिल किये गये विषय :-

- 1) गोदाम और किसानों के लिए इसका लाभ
- 2) वेयरहाउस और सूची प्रबंधन
- 3) गुणवत्ता आश्वासन – कीट नियंत्रण और कीटाणुशोधन
- 4) भंडारण प्रथाओं की संहिता
- 5) भंडारण के दौरान नमी तापमान और आर्द्रता की भूमिका
- 6) बैग और थोक भंडारण के लिए नमूनाकरण
- 7) माल की ढेर और स्टॉक खातों को बनाए रखना और गोदाम में सुरक्षा उपाय
- 8) कृषि वस्तुओं के ग्रेड और मानक
- 9) गोदामों का सामान माल भंडार की बीमा
- 10) कृषि उपज और खाद्य सुरक्षा के लिए वैधानिक ढांचा
- 11) पराक्रम्य वेयरहाउस रसीद और प्रतिज्ञा वित्त
- 12) वायदा और स्पॉट मार्केट – गोदामों की भूमिका
- 13) गोदाम (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 और गोदामों के प्रमाणीकरण
- 14) वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित गोदाम की प्रक्षेत्र भ्रमण
- 15) परीक्षा और प्रतिक्रिया

राजस्थान में कार्यक्रम आयोजित करने और इसके प्रसार के लिए जिलों का चयन

डब्ल्यूडीआरए ने राजस्थान राज्य के दस (10) जिलों को आवंटित किया था और सभी 10 कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक – 5 में देखा जा सकता है।

गोदामों और प्रशिक्षण की यात्रा के दौरान किसानों और व्यापारियों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान की गई: –

- ए) भंडारण का महत्व। यह सूचित किया गया था कि भंडारण एक व्यापक शब्द है और गोदाम इसका एक हिस्सा है। भंडारण एक महत्वपूर्ण विपणन कार्य है, जिसमें उपभोग के लिए आवश्यक होने तक माल का उत्पादन और संरक्षण शामिल होता है। गोदामों में वैज्ञानिक भंडारण संग्रहित उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता की सुरक्षा होती है।

- बी) गोदाम में नियंत्रण उपायों द्वारा वैज्ञानिक भंडारण किया जा सकता है जिसमें दो प्रकार के उपचार शामिल हैं अर्थात् रोगनिरोधी और उपचारात्मक।
- सी) वैज्ञानिक भंडारण में गोदाम की संरचना का महत्व।
- डी) भण्डारण के दौरान कृषि उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में हानि की वजह और प्राथमिक कारण जैसे नमी प्रजनन मोल्डिंग और हीटिंग कीड़े और कृंतक उपज इत्यादि की चर्चा की गई। किसानों को समझाया गया कि आधुनिक भंडारण तकनीकों का उपयोग करके इस तरह के नुकसान से बचा जा सकता है।
- ई) सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण के लिए सावधानीपूर्वक भंडारण स्थल भंडारण संरचना सफाई और वातायन पर चर्चा हुई। अनाज के उचित निरीक्षण के बाद अनाज के उचित वायुमंडल को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
- एफ) सीडब्ल्यूसी आरएसडब्ल्यूसी और अन्य निजी गोदामों में किसानों व्यापारियों निर्यातकों एफसीआई राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (एनएएफईडी) राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की विस्तृत श्रृंखला वैज्ञानिक भंडारण और संरक्षण की सुविधाएं प्रदान करते हैं।
- जी) प्रशिक्षणार्थियों ने को यह भी सूचित किया गया कि सरकार किसानों को आरएसडब्ल्यूसी या सीडब्ल्यूसी गोदामों में अपनी वस्तुओं / उपज के भंडारण के लिए छूट का लाभ प्रदान कर रही है।

प्रशिक्षणार्थियों ने कार्यक्रम आयोजित करने डब्ल्यूडीआरए और नियाम के प्रयासों की सराहना की। संसाधन व्यक्तियों के साथ बातचीत व विचार करने के लिए वेयरहाउसिंग से संबंधित मुद्दों को सुझाव देने और हल करने के लिए एक मंच दिया गया जो कि सराहनीय था। वे भविष्य में ऐसे और जागरूकता कार्यक्रमों की उम्मीद करते हैं।

किसानों ने निम्नलिखित सुझाव दिए

- ए) सरकारी गोदाम सप्ताह में केवल 5 दिन 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक खुला रहता है जबकि निजी गोदाम सभी 6 दिनों के लिए 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक खुले होते हैं। निजी गोदाम बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जिससे किसानों और व्यापारियों के लिए अधिक आकर्षक है। इसलिए सरकारी गोदामों को निजी गोदामों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को सरकारी गोदामों में उत्पाद के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह सुझाव दिया गया था कि गोदामों को अपना समय और कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए।
- बी) इसके अलावा बैंक पंजीकृत निजी गोदामों द्वारा जारी किए गए वेयरहाउस रसीदों को स्वीकार कर रहे हैं और उस आधार पर ऋण प्रदान करते हैं इसलिए पंजीकृत निजी गोदामों के अन्य लाभों के साथ किसानों को उनके कृषि उपज को पंजीकृत गोदामों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- सी) प्रतिभागियों ने कहा कि अधिकांश गोदाम बड़े संगठनों को स्थान प्रदान करते हैं, इसलिए अलग-अलग अंतरिक्ष / ब्लॉक को अपने कृषि उपज जमा करने के लिए सीमांत और छोटे किसानों के लिए गोदामों में आरक्षित किया जाना चाहिए।

डी) अधिकांश किसानों को भंडारण लाभ और एनडब्ल्यूआर के बारे में पता नहीं था और इसलिए किसानों के लिए अधिक जागरूकता सह संवेदनशीलता कार्यक्रम होने का सुझाव दिया गया।

4.5 डब्ल्यूडीआर के साथ पंजीकृत गोदामों के प्रभारी / प्रबंधक / पर्यवेक्षक / प्रतिनिधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीसीएस एनआईएम ने 30 जनवरी 2018 से 2 फरवरी 2018 और 5 मार्च 2018 से 9 मार्च 2018 तक वेयरहाउस अधिकारियों के लिए (पांच दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य प्रतिभागियों को वेयरहाउस प्रबंधन के मुद्दों और चुनौतियों को समझने में मदद करना था और उन्हें एक प्रभावी और कार्यान्वयन योग्य रणनीति विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए जरूरी है। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा राज्य के कार्यकारी अधिकारी थे।



4.6 कृषि तकनीशियनों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम का प्रमाणन

विभिन्न कृषि परिचालनों के लिए कृषि को प्रशिक्षित श्रम की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। मशीनीकरण के कारण मशीनों की मदद से विभिन्न कृषि कार्य किए जा रहे हैं। इन मशीनों को प्रबंधित करने के लिए भी काम करने के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकता है। इस को कम करने के लिए टाटा केमिकल्स प्राइवेट द्वारा नियाम के सहयोग से कृषि तकनीशियनों के लिए एक कौशल विकास पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। संस्थान ने पाठ्यक्रम प्रमाणन के लिए छात्रों का मूल्यांकन किया है। इस पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष थी जिसमें इस उद्देश्य के लिए लगे बेरोजगार युवाओं के विशेषज्ञों ने सेवा कालीक प्रशिक्षण भी दिया था। प्रतिभागियों को पता चला कि ट्रैक्टर बिजाई उपकरण और हल बुआई मशीन छिड़काव यंत्र, स्टॉ रीपर, कम्बाइन, खुदाई संत्र, सब साइलर और भूमि लेजर लेवलर जैसे कृषि मशीनरी के लिए कब्से और कब्से किया जाता है। प्रतिभागियों को मिट्टी प्रबंधन सिंचाई और जल निकासी नर्सरी तैयारी बीज उपचार प्रत्यारोपण सिंचाई फसल पोषण खरपतवार नियंत्रण आम कीटों और बीमारियों के नियंत्रण जैसे क्षेत्र में उगाई गई फसलों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ में खेती प्रथाओं में भी प्रशिक्षण किया गया था। (गेहूं गन्ना मक्का सरसों और प्रमुख दालें) वित्त वर्ष 2017-18 में 25 युवकों को कृषि तकनीशियनों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है। कार्यक्रम ने स्थानीय रोजगार प्रदान किया है और साथ ही ग्रामीण प्रवासन जैसे मुद्दों को संबोधित किया है। इस कार्यक्रम के कारण क्षेत्र में अन्य प्रमुख कृषि कार्यान्वयन कंपनियां भी इस अनूठी पहल का लाभ उठाने के लिए आगे आ गई हैं।

5. शैक्षणिक कार्यक्रम

5.1 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट)

दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट) जो कि अखिल भारतीय तकनीकी अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश में कृषि व्यवसाय और खाद्य क्षेत्र में तकनीकी प्रबंधकों का निर्माण करना है। पाठ्यक्रम में 44 कोर पाठ्यक्रम और 4 ऐच्छिक पाठ्यक्रम शामिल हैं जिनमें कुल 118 क्रेडिट लोड शामिल हैं जो दो वर्ष की अवधि में सम्मिलित हैं। कार्यक्रम कृषि-व्यवसाय पाठ्यक्रम जैसे कृषि-इनपुट विपणन, कृषि उत्पादन प्रबंधन, विस्तार प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और ग्रामीण विपणन और विपणन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और रणनीतिक प्रबंधन जैसे कोर प्रबंधन विषयों के मिश्रणों से बना है। एक निरंतर प्रयास, छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं के साथ व्यवहार में केस-स्टडी और सिद्धान्तों के उपयोग के माध्यम से प्रदान करता है। उद्योग इंटरफेस पीजीडीएम (एबीएम) का एकीकृत भाग है।

संस्थान देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों और प्रमुख कृषि व्यवसाय कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों से विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम मॉड्यूल पर भाषण देने के लिये आमंत्रित करता है। वर्ष 2017-19 के बीच में कुल 53 विद्यार्थियों का दाखिला हुआ। छात्रों को प्रवेश कैंट एवं सीमैट के स्कोर्स के साथ अन्य मापदंडों जैसे समूह चर्चा, वैयक्तिक साक्षात्कार, तात्कालिक बोलना एवं निबन्ध लेख के आधार पर दिया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और कश्मीरी प्रवासी उम्मीदवारों के लिये आरक्षण भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार लागू है।

वर्ष 2017-19 के छात्र-छात्रायें संस्थान की भौगोलिक स्थिति, विविधता का शैक्षणिक रूप से आनन्द उठाते हैं। बीच में कुल 53 विद्यार्थी हैं जो कि 13 कृषि एवं उससे संबद्ध विभिन्न संकायों में स्नातक हैं, जिनमें से 36 पुरुष और 17 महिला छात्र हैं जो कि 25 विश्वविद्यालयों एवं 14 राज्यों एवं केन्द्रशासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस काल के दौरान कुल 46 छात्रों ने ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण पूर्ण किया जिसमें 23 एग्री इनपुट, 11 कन्सल्टिंग, 4 बैंकिंग, 3 एफएमसीजी, 2 ग्रामीण विकास, 2 कमोडिटी एंड एक्सचेंज एवं 1 वेंचर कैपिटल से ली गई।

5.2 पीजीडीएम (एबीएम) के विद्यार्थियों का औद्योगिक भ्रमण

कम्पनियों से संवाद करने के लिये औद्योगिक भ्रमण का आयोजन किया जाता है जो कि जीविका के अवसरों को पहचानने में मदद करता है। औद्योगिक समूह से संवाद करने से कार्यक्रम मजबूत होता है और कंपनियों के साथ दीर्घगामी सहअस्तित्व संबंध स्थापित करने में मदद करता है। अंतिम वर्ष 2016-18 के छात्रों ने सितंबर से अक्टूबर में लगभग 350 कृषि व्यवसाय कंपनियों का भ्रमण किया जो कि हैदराबाद, बंगलौर, मुम्बई, दिल्ली, नोएडा और कोलकाता में स्थित हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य नई कंपनियों से संपर्क करना और उन्हें कार्यक्रम की अनूठी विशेषताओं/शक्तियों के बारे में अवगत कराना था और अंतिम नियुक्तियों और ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के लिये अवसर तलाशने थे। नियमित शैक्षिक पाठ्यक्रमों के अलावा सम्मिलित छात्र प्रमुख प्रबंधन संस्थानों जैसे आईआईएमएस, आईआईटी, विश्वविद्यालयों और अन्य बी विद्यालयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया था। छात्रों के सहभागिता एवं उपलब्धियां निम्न हैं।

क्र.सं.	संस्था	बी-फेस्ट	कार्यक्रम	स्थिति
1	एन.ए.ए.आर.एम., हैदराबाद	संकल्प	पोस्टर मेकिंग	प्रथम
2	आई.आई.एम., रांची	एगोन 2.0	एकपोनेन्सीयल, निबंध लेखन	प्रथम
3	आई.आई.एम., रांची	एगोन 2.0	इग्निस-निबंध लेखन	प्रथम
4	मेनेज, हैदराबाद	कृषि चाणक्य	केस स्टडी	द्वितीय
5	एस. आई.बी.एम. पुणे	ट्रिप हिप्पी केम्पस कनेक्ट	फोटोग्राफी	द्वितीय
6	आई.एम.आई., नई दिल्ली	कृत्व 16	केस स्टडी	द्वितीय
7	ओपन हाउस पब्लिकेशन	राइट टू एक्सप्रेस	निबंध लेखन	द्वितीय
8	एस.सी.एम.एच.आर.डी., पुणे	मार्केटिंग क्लब, एस.सी.एम.एच.आर.डी.	टेग बिना चेन कहां रे	द्वितीय
9	जयपुरिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेजमेंट, जयपुर	5वां राष्ट्रीय खेल सम्मेलन	खो-खो	द्वितीय
10	मेनेज, हैदराबाद	कृषि चाणक्य	संसदीय संवाद	फाइनलिस्ट
11	मेनेज, हैदराबाद	कृषि चाणक्य	फोटोग्राफी	फाइनलिस्ट
12	एन.ए.ए.आर.एम., हैदराबाद	संकल्प	केस स्टडी	फाइनलिस्ट
13	एन.ए.ए.आर.एम., हैदराबाद	संकल्प	केस स्टडी	फाइनलिस्ट
14	आई.आई.टी. कानपुर	प्रबंधन	केस स्टडी	फाइनलिस्ट
15	आई.आई.टी. कानपुर	प्रबंधन	केस स्टडी	फाइनलिस्ट
16	आई.आई.टी. कानपुर	प्रबंधन	केस स्टडी	फाइनलिस्ट
17	आई.आई.टी. कानपुर	प्रबंधन	केस स्टडी	फाइनलिस्ट
18	आई.आई.एम. मुंबई	इनफ्लक्स	बी-प्लान	फाइनलिस्ट
19	आई.आई.एम. शिलोंग	ओपेरा	निबंध लेखन	वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित
20	नरसी मोन्जी प्रबंध अध्ययन संस्थान	पेरिस्पाईकाज	निबंध लेखन	एनएमएमआईएस की ब्लॉग साइट पर प्रकाशित
21	एन.एम.आई.एम.एस., बेंगलोर	नेवेसिस	निबंध लेखन	वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित
22	दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल,	विश्व व्यापार	निबंध लेखन	पत्रिका में प्रकाशित (सितम्बर, 2016)

5.3 फाईनल प्लेसमेंट

पीजीडीएम (एबीएम) कार्यक्रम उद्योग द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रबंधन स्तर की स्थिति के लिये बैंकिंग और सूक्ष्म वित्त, कृषि-इनपुट, बीमा, एफएमसीजी, भंडारण और लॉजिस्टिक्स और कमोडिटी सेक्टर नियोजता थे। संस्थान ने बैच 2016-18 के लिये 100 प्रतिशत प्लेसमेंट प्राप्त किया है। कुल मिलाकर 18 कम्पनियों ने छात्रों को नौकरी के लिये प्रस्ताव दिये थे उनमें से 8 कम्पनियों ने कैम्पस में पहली बार आई थीं। 21 कम्पनियों ने छात्रों को ग्रीष्मकालीन अध्येतावृत्ति के प्रस्ताव दिये। उच्चतम सीटीसी रु. 10लाख प्रतिवर्ष और औसत रु. 7.17लाख प्रतिवर्ष का प्रस्ताव रखा गया था।

5.4 पुरस्कार समारोह कार्यक्रम

पीजीडीएम (एबीएम) द्वारा 25 मार्च, 2018 को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें डॉ. एस.के. पट्टनायक, सचिव (कृषि), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने छात्रों को, श्री पी.के. स्वाईन, संयुक्त सचिव (विपणन) एवं महानिदेशक सीसीएस नियाम की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण किये गये। छात्रों को यह अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता एवं शिक्षा में ऑलराउण्ड एक्सीलेंस के लिए दिये गये।



5.5 ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षुता

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में कुल 46 विद्यार्थियों ने समर इन्टर्नशिप पूर्ण की जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. वाडिलाल इंडस्ट्री
2. सिंजेन्टा
3. महेन्द्रा एग्री सोल्यूंसस लि.
4. एन.सी.डी.ई.एक्स.
5. मेहमानी ऑर्गेनिक लि.
6. डी.ओ. डब्ल्यू. एग्रो साईंसेज
7. यश बैंक
8. टेक्नोसर्व
9. रालिस इंडिया लि.
10. टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज
11. एन.सी.एम.एल. फाईनेंस
12. बिहार जीविका
13. एग्रीकल्चर स्किल काउन्सिल ऑफ इंडिया
14. सल्फर मिल्स लि.
15. ए आईडिया इन्कुबेशन।

5.6 पीजीडीएम (एबीएम) की अतिरिक्त गतिविधियां

पीजीडीएम (एबीएम) द्वारा बी-फेस्ट, एग्रोवोन का वर्ष 2017-18 में पहली बार आयोजन किया गया जो कि कृषि व्यवसाय कम्पनियों द्वारा पूर्णतः प्रायोजित था। बी-फेस्ट एक ऐसा मंच है जिसमें भाग लेकर छात्रों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है जैसे लक्ष्य, विवेचन, मंथन, विपणन क्षेत्र, संकलन प्रतिबिंब, श्रीजन एवं प्रतिभा आदि। कार्यक्रम में आई.आई.टी., आई.आई.एम., मेनेज के छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम के जज एवं जूरी कॉर्पोरेट जगत से थे।



1. 25 मार्च, 2018 को पीजीडीएम (एबीएम) के छात्रों द्वारा सीसीएस नियाम में अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया जिसमें छात्रों की शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों को सराहा गया। कार्यक्रम के इस अवसर पर जिसे सीसीएस नियाम ने आयोजित किया गया में सचिव, डॉ. एस. के. पट्टनायक, सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में एवं श्री पी. के स्वाईन, संयुक्त सचिव, कृषि विपणन सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा इस अवसर पर अन्य गणमान्य अतिथि जैसे श्री अनुराग भटनागर एवं श्रीमती इरीना गर्ग पूर्व महानिदेशक, सीसीएस नियाम उपस्थित थे। 6 विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड दिये गये जैसे बैच 2016-18 का टॉपर अवार्ड, बैच 2016-18 का प्रथम रनरअप अवार्ड, बैच 2016-18 का द्वितीय रनरअप अवार्ड, टॉपर अवार्ड द्वितीय वर्ष बैच 2016-18 एवं टॉपर अवार्ड प्रथम वर्ष बैच 2017-19 एवं बहुमुखी प्रतिभा अवार्ड सम्मिलित थे।
2. पीजीडीएम (एबीएम) ने एक त्रैमासिक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम फार्म टू फोर्क है। वर्ष 2017-18 में इस समाचार पत्र के चार अंक प्रकाशित किये गये। इस समाचार पत्र द्वारा पीजीडीएम (एबीएम) की गतिविधियां एवं छात्रों एवं संकाय सदस्यों द्वारा दिये गये प्रकाशित सूक्ष्म लेख और छात्रों द्वारा समर इन्टर्नशिप का विवरण दिया गया।
3. वार्षिक खेल सम्मेलन सांस्कृतिक संध्या, स्वच्छता पखवाड़ा, अन्तर्राष्ट्रीय योगा दिवस, पौधारोपण कार्यक्रम पीजीडीएम (एबीएम) द्वारा आयोजित किये गये।

हमारे नियोक्ता



6. पुस्तकालय

पुस्तकालय प्रबंधन पद्धति जो कि कोहा पर आधारित है, के द्वारा 13300 किताबों का डाटाबेस, मेगजिन एवं रिपोर्ट आदि का प्रबंधन किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप पुस्तकालय के सभी संसाधन पूर्णतः डिजिटालाइज्ड हो जायेंगे और उन्हें ऑनलाईन देखा जा सकेगा।



6.1 प्रकाशन

सीसीएस नियाम के संकाय सदस्यों ने विभिन्न स्तरों पर शोध पत्र प्रस्तुत किये और जिन्हें विभिन्न सम्माननीय पत्र-पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में प्रकाशित किया गया।

- (i) सूचना एवं संचार तकनीकी का कृषि एवं ग्रामीण विकास में उपयोग—द्वारा डॉ. एस.आर. सिंह एवं डॉ. रमेश मित्तल
- (ii) कृषि पर्यटन में उद्यमिता कौशल एवं क्षमता : किसानों की आय दुगुना करने का एक नया रास्ता द्वारा—डॉ. रमेश मित्तल एवं डॉ. एस.आर. सिंह
- (iii) कृषि क्षेत्र में कौशल को रूपांतरित करने हेतु क्षेत्र एवं अवसर—द्वारा डॉ. रमेश मित्तल एवं डॉ. एस.आर. सिंह। अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जो कि जनवरी, 3 से 4, 2018 को आयोजित की गई में प्रकाशित हुआ। इस संगोष्ठी का आयोजन टेरी, नई दिल्ली द्वारा किया गया।
- (iv) कृषक उत्पादक कम्पनी की यात्रा—भारत में कृषि व्यवसाय एवं प्रबंधन के उभरते आयाम का आयोजन मेसूर विश्वविद्यालय ने 09 से 10 मार्च, 2018 को किया द्वारा—डॉ. सतीश चन्द्र पंत, सहायक प्राध्यापक
- (v) रायपुर जिले में माइक्रो इन्टरप्राइजेज की व्यवसायिक क्षमता का विश्लेषण भारत में कृषि व्यवसाय प्रबंधन में उभरते रूझानों में प्रकाशित द्वारा — डॉ. सतीश चन्द्र पंत, सहायक प्राध्यापक
- (vi) कर्नाटक के चिकबलापुरा जिले में गुलाबी प्याज की निर्यात गुणवत्ता की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन—भारत में कृषि व्यवसाय प्रबंधन में उभरते रूझानों में प्रकाशित द्वारा—डॉ. सतीश चन्द्र पंत, सहायक प्राध्यापक
- (vii) भारत में कृषि व्यवसाय प्रबंधन में उभरते रूझानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किसान निर्माता कम्पनी की यात्रा 09 से 10 मार्च, 2018 मेसूर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित द्वारा—डॉ. सतेन्द्र कुमार ए.डी., सहायक प्राध्यापक
- (viii) कर्नाटक के चिकबलापुरा जिले में गुलाबी प्याज की निर्यात गुणवत्ता की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन—भारत में कृषि व्यवसाय प्रबंधन में उभरते रूझानों में प्रकाशित द्वारा—डॉ. सतेन्द्र कुमार ए. डी., सहायक प्राध्यापक
- (ix) पहाड़ी क्षेत्र में बकव्हीट की वृद्धि एवं क्षमता द्वारा—डॉ. हेमा यादव जरनल ऑफ हिल एग्रीकल्चर वाल्यूम—8 नंबर 2 अप्रैल से जून, 2017

6.2 मिडिया में नियाम



डॉ. एस. आर. सिंह शोध-पत्र प्रस्तुत करने मलेशिया खाना

जयपुर 24 नवम्बर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत डॉ. एस. आर. सिंह दिनांक 26 से 30 नवम्बर, 2017 में कुलालाम्पुर, मलेशिया में आयोजित होने वाली पांच दिवसीय "ग्लोबल मीट" में सी.सी.एस. नियाम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस "ग्लोबल मीट" में डॉ. एस. आर. सिंह एवं उनके सहयोगी डॉ. रमेश मित्तल, उपनिदेशक द्वारा तैयार किये गये दो शोध पत्रों का चयन हुआ है। यह दोनों शोध पत्र कृषि क्षेत्र में उद्यमिता, कौशल विकास एवं संचार क्रांति का उपयोग करते हुए कृषकों की आय को कैसे दुगुना किया जाए विषय पर आधारित हैं। कृषि के क्षेत्र में कौशल विकास एवं उद्यमिता की समझ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इन दोनों शोध पत्रों में संचार क्रांति के विभिन्न टूल्स को कृषि विकास एवं उसके नवीनीकरण के लिए किस तरह उपयोग किया जा सकता है, इस पर बल दिया गया है। यह दोनों शोध पत्र अग्रणी शोध-पत्र के रूप में चयनित हुए हैं। "ग्लोबल मीट" के दौरान डॉ. सिंह मलेशिया एवं सिंगापुर के विभिन्न संस्थानों, अकादमिक विभागों एवं विषयविद्यालयों का भी भ्रमण करेंगे।

अब उत्पादन के साथ ही किसान सीखेंगे मार्केटिंग करने के गुर

नाथनगर में हुई शुरुआत, 40 किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग बीएयू के वैज्ञानिक करेंगे सहयोग, मार्च तक सक्ती उत्पादन का मिलेगा प्रशिक्षण

इच्छाकांत सिंह/भारतपुर

किसान कृषि विपणन संस्थान ने गुरुवार को नाथनगर प्रखंड के बैज्ञानिक गांव में गुरुवार को किसान बिजनेस स्कूल की शुरुआत की। किसान बिजनेस स्कूल यानी किसानों में गुरुवार के किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। किसानों को बाजार में जोड़ने के लिए बीएयू की एक स्पेशल टीम काम करेगी। बैज्ञानिक किसानों को सामूहिक व्यापार की जानकारी देंगे। बिजनेस स्कूल में गुरुवार से मार्च तक सक्ती उत्पादन को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। किसानों को बिजनेस के भी गुर सिखाए जाएंगे। इसमें करीब 200 किसान शामिल होंगे। कुलकर्णी डॉ. अजय कुमार सिंह ने कहा कि किसान बिजनेस स्कूल का उद्देश्य किसानों को बाजार में सीधे तौर पर जोड़ने और अधिक लाभ पहुंचाने वाले उत्पादन करने के लिए उनके कौशल को विकसित कर सक्षम बनाना है। इससे वैज्ञानिक इस क्षेत्र के लिए किसानों की उपमर्शिता का विकास उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। कार्यक्रम की शुरुआत कुलकर्णी डॉ. अजय कुमार सिंह, मुख्य अधिकारी के तौर पर, रमेश मित्तल और डॉ. जीत मिश्रा समेत सभी अधिकारियों ने दी गई प्रशिक्षण करके की।



कैबिंसी के मुख्यमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों को सम्मिलित करने के लिए एक टीम, डॉ. रमेश मित्तल और डॉ. जीत मिश्रा।

30-45 वर्ष के साक्षर किसानों का होगा चयन

बीएयू किसान बिजनेस स्कूल में करीब 40 सक्ती उत्पादकों को किसानों का चयन करके इन सभी किसानों को बाजार-उत्पादन में एकीकृत करने के उद्देश्य से लेकर चिनी तथा एलुमिना किसानों को सक्षम करेगा। किसानों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उनकी उम्र 30-40 के बीच हो, वह साक्षर हों, उनका कुल घर दोत हो और वे सक्ती का उत्पादन करते हों। इस दौरान कुलकर्णी कृषि विदेशक एलुमिना चौधरी, डॉ. वैजयंकर के पूर्व निदेशक डॉ. कैबिंसी राय, कृषि अधिकारियों के अध्यक्ष डॉ. एमके. बरकतुल्लाह, अध्यक्ष सक्ती नियाम के अध्यक्ष डॉ. रमेश मित्तल, मुख्य अधिकारी डॉ. लीला कुमारी मीन समेत डॉ. जय प्रकाश सिंह, डॉ. अमरा कुमारी, डॉ. रमेश कुमारी, डॉ. राजेश्वर सिंह, डॉ. राजेश्वर मिश्रा, डॉ. रमेश मित्तल, डॉ. अजय कुमार सिंह और मौजूद हों। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र सक्ती के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. विवेक कुमार ने कार्यक्रम कायम किया। निदेशक अधिकारी डॉ. अरुण सेखरे ने कहा कि किसान बिजनेस स्कूल के बारे में जानकारी एवं सक्षम बनाने दिया।

7. मुख्य दिवस एवं त्यौहारों का आयोजन

वर्ष 2017-18 में नियाम द्वारा निम्न मुख्य राष्ट्रीय त्यौहारों एवं दिवसों का आयोजन किया गया:-

- सीसीएस नियाम ने अपने प्रांगण में चौथे अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 जून, 2017 को किया। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों एवं अन्य को स्वास्थ्य की महत्ता बताना एवं उन्हें जागरूक करना था। इस अवसर पर संस्थान के अधिकारी एवं कर्मचारी एवं संविदाकर्मी प्रांगण में 6:15 प्रातः योगा विशेषज्ञ की देखरेख में योग करने के लिए उपस्थित थे।
- सीसीएस नियाम ने माननीय प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 20 अगस्त, 2017 को सद्भावना दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर सभी कर्मचारी एवं अधिकारी शपथ लेने के लिए प्रांगण में उपस्थित थे। महानिदेशक द्वारा शपथ का संचालन किया गया।
- 31 अक्टूबर, 2017 को संस्थान में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्थान में विभिन्न कार्यक्रम जैसे महानिदेशक द्वारा प्रातः 11 बजे शपथ संचालन एवं कर्मचारियों एवं छात्रों द्वारा एकता दौड़ का आयोजन किया गया।
- 30 अक्टूबर, से 4 नवम्बर, 2017 के दौरान संस्थान के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार उन्मूलन की शपथ ली ताकि वे अपने सभी कार्यक्रमों को इमानदारी एवं पारदर्शिता से कर सकें। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जगहों पर पोस्टर लगाये गये।



8. सीसीएस नियाम में इन्फ्रास्ट्रक्चर

नियाम परिसर में निम्नलिखित भवन एवं संरचनायें उपस्थित हैं:-

1. ब्रह्मपुत्र भवन जहां से सभी प्रशासनिक एवं प्रशिक्षणात्मक गतिविधियां संचालित होती हैं।
2. कन्वेंशन सेन्टर जिसमें ऑडिटोरियम, सभाकक्ष, 20 कमरों का अतिथिगृह, भोजनालय, लॉन्ज, एवं मैस क्षेत्र छात्रों एवं प्रशिक्षणार्थियों शामिल हैं।
3. पुरुष छात्रावास जिसमें 32 कमरे एवं महिला छात्रावास जिसमें 50 कमरे हैं।
4. विशिष्ट अतिथिगृह जिसमें 4 कक्ष हैं, इसके अलावा महानिदेशक आवास भी हैं।
5. टाईप-5 क्वार्टर्स – संख्या 4
6. टाईप-4 क्वार्टर्स – संख्या 4
7. टाईप-3 क्वार्टर्स – संख्या 7
8. टाईप-2 क्वार्टर्स – संख्या 12
9. इसके अतिरिक्त पुराना दवाखाना, बराक में इनडोर बेडमिंटन, डीजी सेट के लिए सबस्टेशन, वाहन गैराज एवं टिन शेड हैं।
10. 135 केवीए ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम ब्रह्मपुत्र भवन, महिला छात्रावास एवं कन्वेंशन सेन्टर पर स्थापित किया गया है ताकि बिजली पर होने वाले खर्चे को बचाया जा सके।
11. महिला छात्रावास के 49 कमरों का नवीनीकरण पूर्ण हो चुका है।



9. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर सीसीएस नियाम की उपस्थिति (सेमिनार, सिम्पोजिया, कान्फ्रेंस एवं प्रशिक्षण)

- (i) एपीएलएम एक्ट पर संवेदीकरण कार्यक्रम – सीसीएस नियाम ने एपीएलएम एक्ट 2017 पर डीएमआई एवं पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सहयोग से दो संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एवं जम्मुकश्मीर के अधिकारियों को

संवेदीकृत किया गया। एपीएलएम एक्ट को अंतिम रूप देने से पहले इन कार्यक्रमों का आयोजन सीसीएस नियाम एवं चंडीगढ़ में किया गया ताकि राज्यों से आये विचारों को एक्ट में सम्मिलित किया जा सके। सीसीएस नियाम के संकाय सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। दोनों कार्यक्रमों में डॉ. रमेश मित्तल, निदेशक एवं डॉ. एस.आर. सिंह, उपनिदेशक ने भाग लिया।

- (ii) कमोडिटी एक्सचेंज की कार्यपद्धति को जानने के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन 07.07.2017 को एनसीडीएक्स के सहयोग से किया गया जिसमें नियाम के सभी संकाय सदस्यों ने भाग लिया।
- (iii) कृषि के क्षेत्र में सेक्टर एक्सपर्ट कन्सलटेशन मिटिंग—राजस्थान की प्राथमिकतायें, इस कार्यक्रम में डॉ. एस. आर. सिंह, उपनिदेशक द्वारा कृषि विपणन एवं खाद्य सुरक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत किये। यह कार्यक्रम अरावली एवं टाटा ट्रस्ट द्वारा खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने हेतु किया गया।
- (iv) कोचि में कोसांब सम्मेलन — दिनांक 19–22 सितम्बर, 2017 की अवधि में कोसांब ने कोचि में ई-नाम पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीसीएस नियाम सदस्यों ने भाग लिया एवं पेपर प्रस्तुतीकरण किया।
- (v) सीसीएस नियाम सदस्य द्वारा क्वालालुम्पुर एवं सिंगापुर में होने वाली ग्लोबल मीट जिसका विषय विज्ञान एवं तकनीकी एवं खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता था, में भाग लिया। इसमें दो शोधपत्र प्रस्तुत किये गये जिनके शीर्षक “कृषि एवं ग्रामीण विकास में सूचना एवं संचार तकनीकी का इस्तेमाल” एवं “उद्यमिता, कौशल एवं कृषि पर्यटन में सामर्थ्य—भारत में कृषकों की आमदनी दुगुनी करने का एक नया तरीका।”
- (vi) कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत जोब रोल “वेयर हाउस वर्कर्स एवं सप्लाय चेन फील्ड असिस्टेंट” में मास्टर ट्रेनर बनने हेतु ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम में डॉ. रमेश मित्तल, निदेशक एवं डॉ. एस. आर. सिंह, उपनिदेशक ने भाग लिया। यह कार्यक्रम आसकी, एनएसडीसी एवं ईईआई आनन्द ने आयोजित किया।
- (vii) दो नियाम संकाय सदस्य डॉ. रमेश मित्तल, निदेशक एवं डॉ. हेमा यादव, निदेशक ने सियोल, कोरिया कॉन्फ्रेंस में रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग लिया और एग्री वेल्थू चेन एवं स्किलिंग इन एग्रीप्रिन्योरशिप एवं एग्री वेल्थू चेन तथा नेटवर्किंग रूरल मार्केट विद होलसेल मार्केट पर व्याख्यान दिया। यह कार्यक्रम आरडो एवं कोएका द्वारा आयोजित किया गया।
- (viii) डॉ. हेमा यादव, निदेशक ने वक्ता के रूप में कास्टर के विषय पर होने वाली ब्रेन स्टोर्मिंग कार्यशाला एवं संवाद गोष्ठी में भाग लिया जो कि 15 मार्च, 2018 को टिफाक, डीएसटी, नई दिल्ली द्वारा संचालित की गई।
- (ix) डॉ. हेमा यादव, निदेशक ने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जिसका विषय पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि विपणन—मुद्दा एवं रूकावटें, पूर्वोत्तर भारत में हरितक्रांति : अड़चनें, अवसर एवं वे फारवर्ड विषय पर 9 अक्टूबर, 2017 को भाग लिया जिसका आयोजन इफ्री, नास्क, पूसा नई दिल्ली में हुआ।
- (x) डॉ. हेमा यादव, निदेशक ने फिकी द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2017 को आयोजित राष्ट्रीय समिट में उद्यमिता एवं कृषि व्यवसाय पर सेशन चेर किया।
- (xi) डॉ. शुची माथुर, सहायक निदेशक ने कलाम इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बरहामपुर द्वारा दिनांक 17–18 मार्च, 2018 को आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस ऑन “इन्टिग्रेटेड एग्रोच फोर इन्कम इन्हान्समेंट फोर फार्मर्स” में भाग लिया।
- (xii) डॉ. शुची माथुर, सहायक निदेशक ने राष्ट्रीय सम्मेलन “इमर्जिंग ट्रेंड इन एग्री बिजनेस मेनेजमेंट इन इंडिया” में भाग लिया जिसका आयोजन मेसूर विश्वविद्यालय ने 9–10 मार्च, 2018 को किया।

कार्यक्रमों की झलक



10. स्वच्छता ही सेवा अभियान का सीसीएस नियाम में आयोजन (दिनांक 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर, 2017)

दिनांक 15.09.2017 से 02.10.2017 तक सीसीएस नियाम में स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संकाय सदस्यों एवं छात्रों ने दिनांक 25.09.2017 को पौधारोपण का कार्य किया। इस अभियान का उद्घाटन श्रीमती इरीना गर्ग, आईआरएस, महानिदेशक द्वारा किया गया और उन्होंने सीताफल पौधे का रोपण किया तथा यह भी बताया कि यह पौधा पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर विभिन्न प्रजातियों के 45 पौधों का रोपण किया गया जैसे सगंध एवं औषधीय पौधे, फलदार पौधे, सीताफल, आंवला, नीम, कदम, जामून, पलास, बेल, अर्जुन, कढ़ी पत्ता, परीजात, हरसिंगार, अनार, नींबू आम एवं अमरुद आदि।



11. प्रशासनिक एवं लेखा मामले

संस्थान की नीतियों का संचालन साधारण सभा द्वारा किया जाता है। जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय कृषि मंत्री, भारत सरकार करते हैं। केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार साधारण सभा के उपसभापति होते हैं। साधारण सभा की संरचना अनुलग्नक-1 में दी गई है।

संस्थान की कार्यकारी समिति का कार्य यह देखना है कि संस्थान में उसके मेनडेट, नियम एवं बायलॉज के अनुसार अनुपालना हो रही है या नहीं इस पर साधारण सभा का सम्पूर्ण नियन्त्रण होता है। सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण) कार्यकारी समिति की अध्यक्षता करते हैं। कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची अनुलग्नक-2 में दी गई है। सीसीएस नियम में अकादमिक मामलों को देखने के लिए अकादमिक समिति का गठन किया गया है अकादमिक समिति की संरचना अनुलग्नक-3 में दी गई है। महानिदेशक, सीसीएस नियम की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है जो कि संस्थान के राजमर्मा के कार्यों एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं महानिदेशक संस्थान मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिनका सहयोग संकाय सदस्य, प्रशासन एवं लेखा विभाग करते हैं। संस्थान के संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक-4 में दी गई है।

11.1 बैठकें

वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित बैठकों का आयोजन किया गया:-

दिनांक 16.05.2017 को 42वीं कार्यकारी समिति की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता श्री एस.के.पट्टनायक, आईएएस, सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण) भारत सरकार ने की। कार्यकारी समिति ने संस्थान की गतिविधियों का अवलोकन किया। इस बैठक में संयुक्त सचिव विपणन एवं अतिरिक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार उपस्थित थे।

वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे एवं कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुमोदन 43वीं कार्यकारी समिति में सर्कुलेशन द्वारा कराया गया जिसकी अध्यक्षता श्री एस.के.पट्टनायक, आईएएस, सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण) भारत सरकार ने की।

11.2 लेखा एवं लेखा परीक्षण 2017-18

संस्थान एक अलाभकारी संगठन है जो कि भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा वित्त पोषित है। निम्नलिखित दिये गये विवरण के अनुसार संस्थान ने गत पाँच वर्षों में (वित्तीय वर्ष 2017-18 शामिल) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से अनुदान सहायता प्राप्त की थी :-

(राशि/रु. लाख में)

वर्ष	नियम	सीएसएस (आरजीएस)	एमआईएस	योग
2013-14	550.00	76.70	कुछ नहीं	626.70
2014-15	507.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं	507.00
2015-16	367.96	कुछ नहीं	कुछ नहीं	367.96
2016-17	700.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं	700.00
2017-18	609.99	कुछ नहीं	कुछ नहीं	609.99

संस्थान ने सीएसएस (आजीएस) और एमआईएस योजना के तहत वर्ष 2017-18 में कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं किया था। संस्थान ने वर्ष 2017-18 के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से निम्नलिखित अनुदान प्राप्त किया:-

(राशि / रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	सामान्य	टीएसपी	एससीएसपी	योग
1.	अनुदान (सामान्य) अव्ययित गत वर्ष	शून्य	9.39	2.05	11.44
2.	अनुदान (सामान्य) जारी	490.20	39.60	80.19	609.99
3.	अनुदान (सामान्य) उपयोग	490.20	48.99	82.24	621.43
4.	अनुदान (सामान्य) अव्ययित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अनुदान (एनईएस) अव्ययित गत वर्ष	45.89	29.21	7.98	83.08
6.	अनुदान (एनईएस) जारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	अनुदान (एनईएस) उपयोग	16.25	शून्य	शून्य	16.25
8.	अनुदान (एनईएस) अव्ययित	29.64	29.21	7.98	66.83
9.	अनुदान जारी किया गया	536.09	78.20	90.22	704.51
10.	अनुदान उपयोग	506.45	48.99	82.24	637.68
11.	अनुदान अव्ययित	29.64	29.21	7.98	66.83

वर्ष 2017-18 के दौरान अनुदान सहायता के रूप में रु. 609.99 लाख प्राप्त हुये थे और वित्तीय वर्ष 2016-17 से 94.53 लाख रु. प्रमुख मद और उपघटक टीएसपी के तहत अव्ययित शेष के रूप में आगे स्थानान्तरित किये गये थे जिनका मुख्य मद 2435 सामान्य टीएसपी और मुख्य मद 2552 (एनईएस) एवं उपघटक टीएसपी।

दिनांक 31.03.2018 को अनुदान सहायता का अव्ययित शेष रु. 66.83 लाख था [एनईएस (सामान्य) रु. 29.64 लाख और एनईएस (टीएसपी और एससीएसपी घटक) रु. 37.19 लाख]। प्रशिक्षण कार्यक्रम को उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा।

व्यय (आईएसएम) के तहत निर्दिष्ट स्थापना, प्रशासन, संस्थान का रखरखाव, प्रशिक्षणों का आयोजन और अन्य उद्देश्यों के संचालन के लिये अनुदान सहायता से पूरा किया गया था।

कृषि एवं किसान मंत्रालय से प्राप्त अनुदान को छोड़कर भुगतान आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम और परियोजनाएँ प्रदेश सरकार, विपरन मंडल और अन्य संगठनों से लिये गये थे।

- वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजनाओं/परामर्शदात्री सेवाओं से प्राप्ति रु. 226.64 लाख थी और उपरोक्त पर व्यय रु. 184.79 लाख था।
- पीजीडीएबीएम के छात्रों की फीस प्रति वर्ष द्वितीय वर्ष रु. 3.05 लाख (अमानत राशि) और प्रथम वर्ष रु. 3.00 लाख प्रति वर्ष प्रति छात्र है। वर्ष 2017-18 के दौरान 99 छात्र थे। पीजीडीएबीएम कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण व्यय फीस से निकाला जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पीजीडीएबीएम में कुल अर्जित किया गया राजस्व रु. 360.82 लाख था और कुल व्यय रु. 156.97 लाख था।

31.03.2018 को कॉर्पस फण्ड का शेष 1653.39 लाख रुपये था जो 2017-18 के खातों की पुस्तकों के अनुसार अनुदान सहायता के अलावा अन्य प्राप्तियों से जमा किया गया था।

संस्थान महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा परिचालित निर्धारित प्रारूप में खातों की देखरेख करता है।

कार्यकारी समिति ने मैसर्स जे. सिंह एण्ड एसोसिएट्स को वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षक के रूप में स्वीकृत कर दिया है। मैसर्स जे. सिंह एण्ड एसोसिएट्स ने वर्ष 2017-18 के खातों की लेखा परीक्षा कर उन्हें प्रमाणित कर दिया है और वार्षिक खातों के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रमुख निदेशक, लेखा (केन्द्रीय) जयपुर को पहले ही भेजी जा चुकी है।

संस्थान के खाते की लेखा परीक्षा कार्यालय, प्रमुख निदेशक, लेखा (केन्द्रीय, शाखा कार्यालय, जयपुर) द्वारा की जाती है। प्रमुख निदेशक, लेखा (केन्द्रीय) ने संस्थान के खातों की लेखा परीक्षा 31.03.2018 तक कर दी है।

संस्थान के वर्ष 2016-17 तक के वार्षिक लेखा खातों को लेखा रिपोर्ट के साथ संसद के दोनों सदनों में रखा जा चुका है।

11.3 वित्तीय समीक्षा

सीसीएस नियाम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए बीई/आरई के अनुसार कुल अनुदान सहायता रु. 609.99 लाख प्राप्त हुई थी और रु. 637.69 लाख का उपयोग किया गया था। रु. 66.83 लाख एनईएस के तहत अनुदान सहायता का अनुरूप शेष था [एनईएस (सामान्य) रु. 29.64 लाख और एनईएस (टीएसपी) रु. 29.21 लाख और एनईएस (एससीएसपी) रु. 7.98 लाख]। संस्थान की वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:-

(रु. लाख में)

खातों के शीर्षक	अनुमानित बजट	वास्तविक
राजस्व व्यय	1100.00	1053.70*
पूँजीगत व्यय		
कुल व्यय	1100.00	1053.70
कुल योग	1100.00	1053.70
प्राप्त राजस्व	600.00	585.00
जारी अनुदान सहायता	1100.00	609.99
कॉर्पस फंड को स्थानान्तरण	200.00	267.79**

* वास्तविक व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

1. नियाम के कर्मचारियों का वेतन	—	332.22
2. ट्रेनिंग एण्ड सेमीनार व्यय	—	138.92
3. प्रोजेक्ट एण्ड कंस्ट्रक्टेन्सी व्यय	—	87.72
4. पीजीडीएबीएम	—	156.98
5. प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	—	337.86

1053.70 लाख रु.

राजस्व व्यय वर्ष 2017-18 के दौरान कॉर्पसफंड से मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 206.79 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित राशि 26.79 रुपये का लाख से समायोजित की गई है।

अनुलग्नक

सामान्य

क्र.सं.	समाज के सदस्य	पद
1	भारत सरकार के माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याणमंत्री जो कि संस्था से सम्बद्ध हैं	अध्यक्ष
2	भारत सरकार के माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्रीजो कि संस्था से सम्बद्ध हैं	उपाध्यक्ष
3	सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
4	अतिरिक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
5	अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
6	संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
7	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार	सदस्य
8	सलाहकार (कृषि), नीति आयोग, भारत सरकार	सदस्य
9	आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
10	अध्यक्ष/सदस्य सचिव, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी), नई दिल्ली	सदस्य
11	अध्यक्ष, परिषद्, राज्य कृषि विपणन मंडल (सीओएसएएमबी), नई दिल्ली	सदस्य
12	निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	सदस्य
13	निदेशक, भारतीय प्रबंधन पैकेजिंग संस्थान, अहमदाबाद	सदस्य
14	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी), नई दिल्ली	सदस्य
15	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन मंडल (नैफेड), नई दिल्ली	सदस्य
16	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), नई दिल्ली	सदस्य
17	सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
18	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन कॉर्पोरेशन (नैरामैक), गुवाहाटी	सदस्य
19	महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रयुक्त व्यवहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद् (एनसीईआर), नई दिल्ली	सदस्य
20	महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी), हैदराबाद	सदस्य
21	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, कृषि उत्पाद निर्यात विकास एजेन्सी (अपीडा), नई दिल्ली	सदस्य
22 से 24	किसान एवं किसान संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
25 से 29	कृषि एवं कृषि विपणन की मुख्य हस्तियां	सदस्य
30	महानिदेशक, चौ. चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान	सदस्य

कार्यकारी समिति के सदस्य

1.	सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय/विभाग जो कि संस्था से सम्बद्ध	सदस्य
3.	अतिरिक्त सचिव (विपणन), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (विपणन) एवं प्रभारी, कृषि विपणन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
5.	प्रधान सचिव (कृषि), राजस्थान सरकार	सदस्य
6.	अध्यक्ष, राज्य कृषि विपणन मंडल परिषद्, नई दिल्ली	सदस्य
7.	महानिदेशक, सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान	सदस्य

नियाम की शैक्षिक स्थायी समिति के सदस्य

1.	डॉ. इरीना गर्ग	महानिदेशक, सीसीएस नियाम
2.	डॉ. वसन्त गाँधी	प्रोफेसर, आईआईएम, बंगलौर
3.	डॉ. सनल कुमार वेलेयुधान	प्रोफेसर, आईआईएम, बंगलौर
4.	डॉ. मिथलेश्वर झाँ	प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) आईआईएम, बंगलौर
5.	डॉ. दिनेश अवस्थी	निदेशक (सेवानिवृत्त), ईडीआई
6.	डॉ. अमर केजेआर नायक	प्रोफेसर, एक्सआईएम, भुवनेश्वर
7.	डॉ. सुखपाल सिंह	प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद
8.	डॉ. रमेश मित्तल	निदेशक, सीसीएस नियाम, जयपुर
9.	डॉ. हेमा यादव	निदेशक, सीसीएस नियाम, जयपुर
10.	डॉ. एस. आर. सिंह	उपनिदेशक, सीसीएस नियाम, जयपुर

सी.सी.एस. नियाम अधिकारी एवं कर्मचारी

अनुलग्नक 4

श्रीमती इरीना गर्ग, भारतीय राजस्व सेवा, महानिदेशक

अधिकारी एवं संकाय सदस्य

क्र.सं.	संकाय सदस्य का नाम	पदनाम	विशेषज्ञता
1.	डॉ. रमेश मित्तल	निदेशक	कृषि विपणन, कृषि व्यवसाय और कृषि उद्यमिता
2.	डॉ. हेमा यादव	निदेशक	कृषि विपणन, कृषि व्यवसाय, जीआईएस
3.	डॉ. एस. आर. सिंह	उपनिदेशक	कृषि विपणन, विपणन प्रसार, संगंध एवं औषधीय पादप एवं कौशल विकास
4.	डॉ. शुची माथुर	सहायक निदेशक	कृषि विपणन, बाजार सूचना तंत्र एवं एफपीओ
5.	डॉ. नीतू भगत	सहायक निदेशक	वर्तमान में एआईसीटीई, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर
6.	डॉ. शैलेन्द्र	सहायक निदेशक	कृषि विपणन एवं वेल्थू चेन प्रबंधन
7.	डॉ. विक्रम सिंह	प्राध्यापक	संगठनात्मक विकास
8.	डॉ. मानसी माथुर	सह-प्राध्यापक	वित्त
9.	डॉ. सतीश चन्द पंत	सहा. प्राध्यापक	कृषि व्यवसाय प्रबंधन
10.	डॉ. सत्येन्द्र कुमार ए. डी.	सहा. प्राध्यापक	कृषि व्यवसाय प्रबंधन

अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण

क्र.सं.	अधिकारी एवं कर्मचारीगण का नाम	पदनाम
1	श्री सी. हरिदासन	लेखा अधिकारी
2	श्री पी. एम. चारिलू	वैयक्तिक सचिव
3	श्री राजेश शर्मा	वैयक्तिक सचिव
4	श्री जी.एल. मीणा	संभाग अधिकारी
5	श्री एम.के. झांझरी	संभाग अधिकारी
6	श्री सी.पी. बैरवा	सहायक प्रथम
7	श्री गोविन्द शर्मा	पुस्तकालय सहायक
8	श्री विजय गुप्ता	सहायक प्रथम
9	श्री बुद्धी प्रकाश	सहायक प्रथम
10	श्री किशन सिंह	वाहन चालक
11	श्री कैलाश मीणा	वाहन चालक
12	श्री रजाक मोहम्मद	प्लम्बर
13	श्री कैलाश वर्मा	अटेन्डेन्ट कम सर्वर
14	श्री कैलाश भार्गव	अटेन्डेन्ट कम सर्वर
15	श्री कैलाश चन्द	अटेन्डेन्ट कम सर्वर
16	श्री काना राम	अटेन्डेन्ट कम सर्वर
17	श्री राम बहादुर	अटेन्डेन्ट कम सर्वर
18	श्री कृष्ण सैनी	अटेन्डेन्ट कम सर्वर

वर्ष 2017-18 के दौरान नियाम द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	दिनांक एवं अवधि	स्थान	विवरण	संयोजक
1	संगंध एवं औषधीय पौधों की प्राइमरी प्रोसेसिंग एवं विपणन	35	09-11 नवम्बर, 2017	उदलगिरी	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
2	संगंध एवं औषधीय पौधों की प्राइमरी प्रोसेसिंग एवं विपणन	35	13-15 नवम्बर, 2017	मंगलदोई, दरांग	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
3	फूलों का विपणन	40	16-18 नवम्बर, 2017	हाजो, कामरूप	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
4	फूलों का विपणन	31	20-22 नवम्बर, 2017	डमोरिया, कामरूप	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
5	उद्यान उत्पाद का विपणन	40	23-25 नवम्बर, 2017	पनबाड़ी, चिरांग	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
6	उद्यान उत्पाद का विपणन	40	27-29 नवम्बर, 2017	बरपेटा	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
7	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	40	5 अक्टूबर, 2017	मणिपुर	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
8	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	40	5 अक्टूबर, 2017	मणिपुर	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
9	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	35	9 अक्टूबर, 2017	नागालैंड	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
10	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	35	10 अक्टूबर, 2017	नागालैंड	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
11	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	24	12 अक्टूबर, 2017	अरुणाचल प्रदेश	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
12	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	31	14 अक्टूबर, 2017	अरुणाचल प्रदेश	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
13	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	32	14 दिसम्बर, 2017	मेघालय	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
14	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	33	15 दिसम्बर, 2017	आसाम	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
15	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	37	16 दिसम्बर, 2017	आसाम	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक

क. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	दिनांक एवं अवधि	स्थान	विवरण	संयोजक
16	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	38	18 दिसम्बर, 2017	आसाम	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
17	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	38	19 दिसम्बर, 2017	आसाम	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
18	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	28	20 दिसम्बर, 2017	आसाम	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
19	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	36	21 दिसम्बर, 2017	आसाम	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
20	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	26	22 दिसम्बर, 2017	आसाम	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
21	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	40	1-3 फरवरी, 2018	केरल	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
22	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	40	5-7 फरवरी, 2018	केरल	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
23	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	48	8-10 फरवरी, 2018	केरल	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
24	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	21	19-21 फरवरी, 2018	केरल	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
25	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	33	22-24 फरवरी, 2018	कर्नाटक	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
26	रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	29	25-27 फरवरी, 2018	तमिलनाडु	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
27	स्वच्छ भारत अभियान पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	40	23 मई, 2017	मुहाना मण्डी, जयपुर	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
28	स्वच्छ भारत अभियान पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	82	27 सितम्बर, 2017	मंडी प्रांगण, श्रीमाधोपुर	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल निदेशक
29	चाय उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	35	28 अगस्त, 2017	टोकलाई, जोरहाट	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह उप निदेशक

क. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	दिनांक एवं अवधि	स्थान	विवरण	संयोजक
30	चाय उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	35	29 अगस्त, 2017	टी बोर्ड ऑफिस, जोरहाट	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
31	चाय उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	35	30 अगस्त, 2017	गोलाघाट	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
32	चाय उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	30	1 सितम्बर, 2017	सिबसागर	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
33	चाय उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	30	4 सितम्बर, 2017	डिब्रुगढ़	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
34	चाय उत्पादकों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	30	5 सितम्बर, 2017	डिब्रुगढ़	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
35	ऑर्गेनिक चाय उत्पादन सर्टिफिकेशन एवं विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	30	25 अक्टूबर, 2017	तुली, नागालैण्ड	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह, उपनिदेशक
36	ऑर्गेनिक चाय उत्पादन सर्टिफिकेशन एवं विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	34	29 अक्टूबर, 2017	मरगेरिटा, तिनसुकिया	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह, उपनिदेशक
37	ऑर्गेनिक चाय उत्पादन सर्टिफिकेशन एवं विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	35	30 अक्टूबर, 2017	बोरदूमसा, अरुणाचल प्रदेश	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
38	ऑर्गेनिक चाय उत्पादन सर्टिफिकेशन एवं विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	34	5 नवम्बर, 2017	सोनितपुर, तेजपुर, आसाम	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह, उपनिदेशक
39	रबर क्षेत्र के लघु रबर उत्पादकों के लिए आने वाले रुझान एवं उद्यमिता विकास में परिवर्तन एवं विपणन	37	7 नवम्बर, 2017	गुवाहाटी, आसाम	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह, उपनिदेशक
40	रबर क्षेत्र के लघु रबर उत्पादकों के लिए आने वाले रुझान एवं उद्यमिता विकास में परिवर्तन एवं विपणन	40	9 नवम्बर, 2017	अगरतला, त्रिपुरा	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह, उपनिदेशक

क्र. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	दिनांक एवं अवधि	स्थान	विवरण	संयोजक
41	समन्वित कृषि, प्रक्रिया एवं विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	42	2-4 नवम्बर, 2017	मुसालपुर, बक्सा	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
42	समन्वित कृषि, प्रक्रिया एवं विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	33	6-8 नवम्बर, 2017	कोकराझार	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
43	बाजार आधारित प्रसार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	35	15-17 दिसम्बर, 2017	बोको, कामरूप	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
44	बाजार आधारित प्रसार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	45	20-22 दिसम्बर, 2017	एन. लखिमपुर	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
45	कृषि विपणन पर किसान जागरुकता कार्यक्रम	40	27 दिसम्बर, 2017	कृष्णई, गोलपारा	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
46	कृषि विपणन पर किसान जागरुकता कार्यक्रम	38	3 जनवरी, 2018	जगरा, नलबाड़ी, आसाम	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
47	कृषि विपणन पर किसान जागरुकता कार्यक्रम	42	5 जनवरी, 2018	खानपाड़ा, कामरूप	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह, उपनिदेशक
48	कृषि विपणन पर किसान जागरुकता कार्यक्रम	44	7 जनवरी, 2018	हाउली, बरपेटा	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह, उपनिदेशक
49	कृषि विपणन पर किसान जागरुकता कार्यक्रम	38	16 जनवरी, 2018	पथेरखण्डी, करीमगंज	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह, उपनिदेशक
50	कृषि विपणन पर किसान जागरुकता कार्यक्रम	42	17 जनवरी, 2018	हेलाखण्डी	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह, उपनिदेशक
51	स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव	75	29 मई, 2017	बीलवा, जयपुर	प्रशिक्षण	डॉ. शुची माथुर, सहायक निदेशक
52	किसान उत्पादक संगठन— एक विकास का रास्ता	54	22 सितम्बर, 2017	अगरतला, त्रिपुरा	प्रशिक्षण	डॉ. शुची माथुर, सहायक निदेशक
53	किसान उत्पादक संगठन के लिए व्यवसाय योजना	50	20-21 सितम्बर, 2017	अगरतला, त्रिपुरा	प्रशिक्षण	डॉ. शुची माथुर, सहायक निदेशक
54	क्षमता विकास एवं सहभागिता का लाभ उठाना	13	6 अक्टूबर, 2017	सीसीएस नियाम केम्पस, जयपुर	प्रशिक्षण	डॉ. शुची माथुर, सहायक निदेशक

क. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	दिनांक एवं अवधि	स्थान	विवरण	संयोजक
55	किसान उत्पादक कम्पनी को बाजार से जोड़ना-अमूल	11	28 अगस्त, 2017	सीसीएस नियाम केम्पस, जयपुर	प्रशिक्षण	डॉ. शुची माथुर, सहायक निदेशक
56	ब्राण्डिंग के माध्यम से किसानों को आने वाले बाजार से जोड़ना	52	14 मार्च, 2018	गुन्टुर, आन्ध्रप्रदेश	प्रशिक्षण	डॉ. शुची माथुर, सहायक निदेशक
57	परियोजना प्रबंधन एवं आयोजन टूल फोर बीओडी एंड एफपीओ	30	9-10 जनवरी, 2018	महाराष्ट्र	प्रशिक्षण	डॉ. शुची माथुर, सहायक निदेशक
	योग	2116				
व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम						
58	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	44	09.10.2017	केयूएमएस जयपुर दाना	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र सहायक निदेशक
59	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	48	13.10.2017	केयूएमएस जौधपुर दाना	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र सहायक निदेशक
60	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	25	14.10.2017	केयूएमएस भीनमाल	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र सहायक निदेशक
61	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	33	16.10.2017	केयूएमएस सुमेरपुर	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र सहायक निदेशक
62	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	27	17.10.2017	केयूएमएस बीकानेर दाना	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र सहायक निदेशक
63	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	20	16.10.2018	केयूएमएस उदयपुर दाना	प्रशिक्षण	डॉ. सतीश पंत सहायक प्राध्यापक
64	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	29	17.10.2018	केयूएमएस प्रतापगढ़	प्रशिक्षण	डॉ. सतीश पंत सहायक प्राध्यापक
65	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	46	16.10.2017	केयूएमएस बाड़मेर	प्रशिक्षण	डॉ. सतेन्द्र सहायक प्राध्यापक
66	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	46	16.10.2017	केयूएमएस मण्डावरी	प्रशिक्षण	डॉ. मानसी माथुर सह प्राध्यापक
67	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	27	17.10.2017	केयूएमएस अजमेर दाना	प्रशिक्षण	डॉ. मानसी माथुर सह प्राध्यापक
68	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	28	23.10.2017	केयूएमएस गंगापुरसिटी	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र सहायक निदेशक
69	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	30	24.10.2017	केयूएमएस चुरु	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र सहायक निदेशक

क्र. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	दिनांक एवं अवधि	स्थान	विवरण	संयोजक
70	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	40	25.10.2017	केयूएमएस भीलवाड़ा	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र सहायक निदेशक
71	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	51	27.10.2017	केयूएमएस हनुमानगढ़	प्रशिक्षण	डॉ. सतीश पंत सहायक प्राध्यापक
72	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	41	28.10.2017	केयूएमएस श्रीगंगानगर दाना	प्रशिक्षण	डॉ. सतीश पंत सहायक प्राध्यापक
73	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	47	27.10.2017	केयूएमएस अलवर	प्रशिक्षण	डॉ. सतेन्द्र सहायक प्राध्यापक
74	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	30	28.10.2017	केयूएमएस भरतपुर	प्रशिक्षण	डॉ. सतेन्द्र सहायक प्राध्यापक
75	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	25	02.11.2017	केयूएमएस टोंक	प्रशिक्षण	डॉ. मानसी माथुर सह प्राध्यापक
76	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	37	14.11.2017	केयूएमएस झुंझुनूं	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र सहायक निदेशक
77	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	35	14.11.2017	केयूएमएस श्रीमाधोपुर	प्रशिक्षण	डॉ. मानसी माथुर सह प्राध्यापक
78	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	34	17.11.2017	केयूएमएस नागौर	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र सहायक निदेशक
79	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	51	22.11.2017	केयूएमएस कोटा दाना	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र सहायक निदेशक
80	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	80	28.11.2017	केयूएमएस बूंदी	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र सहायक निदेशक
81	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	30	01.11.2017	केयूएमएस बारां	प्रशिक्षण	डॉ. हेमा यादव निदेशक
82	व्यापारियों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	30	02.11.2017	केयूएमएस झालावाड़	प्रशिक्षण	डॉ. हेमा यादव निदेशक
83	सूचना एवं संचार तकनीकी का कृषि विपणन में उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	36	01-02 मार्च, 2018	विशाखापट्टनम	प्रशिक्षण	डॉ. हेमा यादव निदेशक
84	मखाना विपणन पर जागरूकता कार्यक्रम	30	23.02.2018	केवीके किशनगंज, बिहार	प्रशिक्षण	डॉ. हेमा यादव निदेशक
85	सूचना एवं संचार तकनीकी का कृषि विपणन में उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	30	20-22 मार्च, 2018	मेसूर	प्रशिक्षण	डॉ. हेमा यादव निदेशक
	योग	1030				

क्र. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	दिनांक एवं अवधि	स्थान	विवरण	संयोजक
सचिवों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम						
86	सचिवों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	31	25-27 जुलाई, 2017	सीसीएस नियाम जयपुर	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र सहायक निदेशक
87	सचिवों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	25	12-14 सितम्बर, 2017	सीसीएस नियाम जयपुर	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र सहायक निदेशक
88	सचिवों हेतु ई-नाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	29	10-12 अक्टूबर, 2017	सीसीएस नियाम जयपुर	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र सहायक निदेशक
	योग	85				
डब्ल्यूडीआरए पर जागरूकता कार्यक्रम						
89	डब्ल्यूडीआरए पर व्यापारी, किसान एवं दाल मिल मालिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	57	19.07.2017	केवीके प्रतापगढ़	प्रशिक्षण	डॉ. हेमा यादव निदेशक
90	डब्ल्यूडीआरए पर व्यापारी, किसान एवं दाल मिल मालिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	37	28.12.2017	केयूएमएस कुकरखेड़ा जयपुर	प्रशिक्षण	डॉ. मानसी माथुर सह प्राध्यापक
91	डब्ल्यूडीआरए पर व्यापारी, किसान एवं दाल मिल मालिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	32	09.01.2018	केयूएमएस टोंक	प्रशिक्षण	डॉ. मानसी माथुर सह प्राध्यापक
92	डब्ल्यूडीआरए पर व्यापारी, किसान एवं दाल मिल मालिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	30	09.02.2018	केयूएमएस श्रीमाधोपुर	प्रशिक्षण	डॉ. मानसी माथुर सह प्राध्यापक
93	डब्ल्यूडीआरए पर व्यापारी, किसान एवं दाल मिल मालिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	50	09.01.2018	केवीके कोटा	प्रशिक्षण	डॉ. सतीष पंत सहायक प्राध्यापक
94	डब्ल्यूडीआरए पर व्यापारी, किसान एवं दाल मिल मालिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	40	11.01.2018	केवीके बानसूर	प्रशिक्षण	डॉ. सतीष पंत सहायक प्राध्यापक
95	डब्ल्यूडीआरए पर व्यापारी, किसान एवं दाल मिल मालिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	36	25.01.2018	केवीके काजरी	प्रशिक्षण	डॉ. सतीष पंत सहायक प्राध्यापक
96	डब्ल्यूडीआरए पर व्यापारी, किसान एवं दाल मिल मालिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	40	24.01.2018	केवीके भीलवाड़ा	प्रशिक्षण	डॉ. सतेन्द्र सहायक प्राध्यापक

क्र. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	दिनांक एवं अवधि	स्थान	विवरण	संयोजक
97	डब्ल्यूडीआरए पर व्यापारी, किसान एवं दाल मिल मालिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	46	09.02.2018	केयूएमएस श्रीगंगानगर	प्रशिक्षण	डॉ. सतेन्द्र सहायक प्राध्यापक
98	डब्ल्यूडीआरए पर व्यापारी, किसान एवं दाल मिल मालिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	48	07.03.2018	केयूएमएस बीकानेर दाना	प्रशिक्षण	डॉ. सतेन्द्र सहायक प्राध्यापक
	योग	416				
डब्ल्यूडीआरए के अन्तर्गत रजिस्टर्ड वेयरहाउस के प्रभारी, प्रबंधक, पर्यवेक्षक एवं प्रतिनिधियों हेतु पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम						
99	डब्ल्यूडीआरए के अन्तर्गत रजिस्टर्ड वेयरहाउस के प्रभारी, प्रबंधक, पर्यवेक्षक एवं प्रतिनिधियों हेतु पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	50	30 जनवरी से 02 फरवरी 2018	सीसीएस नियाम जयपुर	प्रशिक्षण	डॉ. शुचि माथुर सहायक निदेशक
100	डब्ल्यूडीआरए के अन्तर्गत रजिस्टर्ड वेयरहाउस के प्रभारी, प्रबंधक, पर्यवेक्षक एवं प्रतिनिधियों हेतु पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	50	5 से 9 मार्च, 2018	सीसीएस नियाम जयपुर	प्रशिक्षण	डॉ. शुचि माथुर सहायक निदेशक
	योग	100				

किसान व्यवसाय पाठशाला के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (कुल 15 कार्यक्रम)

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	संचालन संस्था	प्रतिभागियों की संख्या	समन्वयक
101 से 115	किसान व्यवसाय पाठशाला के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम	बिहार	40	डॉ. हेमा यादव निदेशक
	योग		40	

सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी एवं अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	दिनांक एवं अवधि	स्थान	विवरण	संयोजक
116	जलवायु परिवर्तन एवं जनजीवन पर उसके प्रभाव पर संगोष्ठी	51	19 मार्च, 2018	आईआईपीएम बेंगलोर	सम्मेलन	डॉ. हेमा यादव निदेशक
117	फीड द फ्यूचर के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम—भारत त्रिकोणिय श्रृंखला कार्यक्रम—यूएसएड एशिया एवं अफ्रीका के 7 देशों के प्रतिनिधि	21	9 से 23 जनवरी, 2018	सीसीएस नियाम जयपुर	अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ. हेमा यादव निदेशक
118	सहयोगी संस्थानों के साथ संवेदीकरण कार्यशाला	15	06.10.2017	सीसीएस नियाम जयपुर	कार्यशाला	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
119	संगंध एवं औषधीय पौधों का विपणन—चुनोतियां एवं अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	117	27.02.2018	गुवाहाटी	राष्ट्रीय सेमिनार	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
120	संगंध एवं औषधीय पौधों का विपणन—चुनोतियां एवं अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	117	18.03.2018	आईसीएआर कॉम्प्लेक्स शिलांग	राष्ट्रीय सेमिनार	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
	योग	321				
कौशल विकास कार्यक्रम (200 घंटे)						
121	जॉब रोल वेयर हाउस वर्कर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	20	5 फरवरी से 11 मार्च, 2018	सीसीएस नियाम जयपुर	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
122	जॉब रोल सप्लाय चेन फील्ड असिस्टेंट के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	20	5-29 मार्च, 2018	सीसीएस नियाम, जयपुर	प्रशिक्षण	डॉ. एस.आर. सिंह उपनिदेशक
	योग	40				

कुल हितधारक एवं प्रतिभागी प्रशिक्षित—4148

**वार्षिक प्रतिवेदन
2017-18**

Annexure 6



J. SINGH & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

380, Gayatri Nagar 'A', Maharani Farm

Durgapura, Jaipur, Rajasthan -302018

Mobile: 9887650046 Email: shalinijain03@gmail.com

To,

The Member of ch. Charan Singh National Institute of agricultural Marketing
Jaipur – 302033

We have audited the attachment Balance Sheet of Ch. Charan Singh National Institute of agricultural Marketing Jaipur as at 31st March, 2018 and also the annexed Income and Expenditure Account and Receipt & Payments Account for the year ended on that day and report that:

We have obtained all the information and explanations, which to the best of our Knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit. The institute has maintained proper books of account and the Balance Sheet and Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with in this report are in agreement with them.

These financial statements are the responsibility of the Institute management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examine, on the basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion and to the best of our knowledge and belief, the accounts give a true and fair view read along with Notes on accounts.

- In the case of Balance sheet of state of affairs as at 31st March, 2018
- In the case of income and Expenditure account of Excess of Income over Expenditure of the Institute for the year ended on 31st March, 2018 and
- In the case of Receipt & Payment Account, of the receipt and payment of the institute for the year ended on 31st March, 2018.

As per our report even dated attached

For J. Singh & Associates

FRN – 110266W

Chartered Accountants



(Shalini Jain)

Partner

M. No. 406364

Place: Jaipur

Date: 27.06.2018



**Ch. Charan Singh
National Institute of Agricultural Marketing
(A Govt. of India Organisation)
Kota Road, Bambala (Near Sanganer) Jaipur- 302033**

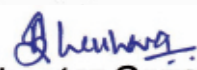
GFR-19A

**Utilization Certificate
As on 31-03-2018**

S.No.	Letter No & Date	Date of DD/RTGS	Amount
(i)	Balance as on 01.04.2017	-----	NIL
(ii)	No. G.20015/7/2016-M II Dated 02.06.2017	01.07.2017	80,42,000.00
	No. G.20015/7/2016-M II Dated 13.10.2017	18.10.2017	2,94,78,000.00
	No. G.20015/7/2016-M II Dated 24.01.2018	31.01.2018	1,15,00,000.00
		Total	4,90,20,000.00

Certified that out of Rs.4,90,20,000.00 of grant-in-aid under General Category States was sanctioned during the year 2017-18 in favour of Ch. Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing, Jaipur under the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Farmer Welfare, Govt. of India vide letter no. given in the margin and Rs. NIL on account of unspent balance of previous year, a sum of Rs. 4,90,20,000.00 has been utilized for revenue expenditure for which it was sanctioned and Rs. Nil balance of grants in aid remain unutilized at the end of the year.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been fulfilled/are being fulfilled.


Director General

Place: Jaipur
Date: 27.06.2018

डा. पी. चन्द्र शेखरा/Dr. P. Chandra Shekara
महानिदेशक/Director General
सी.सी.एस. राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान/
C.C.S. National Institute of Agricultural Marketing
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार संगठन/
An Organization of Ministry of Agriculture &
Farmers Welfare, Govt. of India)
कोटा रोड, बम्बाला, सांगानेर, जयपुर-302033/
Kota Road, Bambala, Sanganer, Jaipur-302033

Ch. Charan Singh
National Institute of Agricultural Marketing
(A Govt. of India Organisation)
Kota Road, Bambala (Near Sanganer) Jaipur- 302033

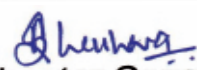
GFR-19A

Utilization Certificate
As on 31-03-2018

S.No.	Letter No & Date	Date of DD/RTGS	Amount
(i)	Balance as on 01.04.2017	-----	2,05,358.00
(ii)	No. G.20015/7/2016-M II Dated 02.06.2017	01.07.2017	5,57,000.00
(iii)	No. G.20015/7/2016-M II Dated 13.10.2017	18.10.2018	74,62,000.00
		Total	82,24,358.00

Certified that out of Rs. 80,19,000.00 of grant-in-aid (General) other than North Eastern State under Special Component Plan for Scheduled Castes Category was sanctioned during the year 2017-18 in favour of Ch. Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing, Jaipur under the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Govt. of India vide letter no. given in the margin and Rs. 2,05,358.00 on account of unspent balance of previous year, a sum of Rs.82,24,358.00 has been utilized for revenue expenditure for which it was sanctioned and Rs. Nil balance of grants in aid remain unutilized at the end of the year.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been fulfilled/are being fulfilled.


Director General

Place: Jaipur
 Date: 27.06.2018

डा. पी. चन्द्र शेखरा/Dr. P. Chandra Shekara
 महानिदेशक/Director General
 सी.सी.एस. राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान/
 C.C.S. National Institute of Agricultural Marketing
 (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार संगठन/
 An Organization of Ministry of Agriculture &
 Farmers Welfare, Govt. of India)
 कोटा रोड, बम्बाला, सांगानेर, जयपुर-302033/
 Kota Road, Bambala, Sanganer, Jaipur-302033

**Ch. Charan Singh
National Institute of Agricultural Marketing
(A Govt. of India Organisation)
Kota Road, Bambala (Near Sanganer) Jaipur- 302033**

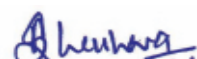
GFR-19A

**Utilization Certificate
As on 31-03-2018**

S.No.	Letter No & Date	Date of DD/RTGS	Amount
(i)	Balance as on 01.04.2017	-----	9,39,254.00
(ii)	No. G.20015/7/2016-M II Dated 13.10.2017	18.10.2017	39,60,000.00
		Total	48,99,254.00

Certified that out of Rs. 39,60,000.00 of grant-in-aid (General) other than North Eastern State under Tribal Area Sub Plan for TSP Category was sanctioned during the year 2017-18 in favour of Ch. Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing, Jaipur under the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Govt. of India vide letter no. given in the margin and Rs. 9,39,254.00 on account of unspent balance of previous year, a sum of Rs. 48,99,254.00 has been utilized for revenue expenditure for which it was sanctioned and Rs. NIL balance of grants in aid remain unutilized at the end of the year.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been fulfilled/are being fulfilled.


Director General

Place: Jaipur
Date: 27.06.2018

डा. पी. चन्द्र शेखरा/Dr. P. Chandra Shekara
महानिदेशक/Director General
सी.सी.एस. राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान/
C.C.S. National Institute of Agricultural Marketing
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार संगठन/
An Organization of Ministry of Agriculture &
Farmers Welfare, Govt. of India)
कोटा रोड, बम्बाला, सांगानेर, जयपुर-302033/
Kota Road, Bambala, Sanganer, Jaipur-302033

Ch. Charan Singh
National Institute of Agricultural Marketing
(A Govt. of India Organisation)
Kota Road, Bambala (Near Sanganer) Jaipur- 302033

GFR-19A

Utilization Certificate
As on 31-03-2018

S.No.	Letter No & Date	Date of DD/RTGS	Amount
(i)	Balance as on 01.04.2017	-----	45,89,600.00
		Total	45,89,600.00

Certified that out of Rs. NIL of grant-in-aid for North Eastern States (Gen) was sanctioned during the year 2017-18 in favour of Ch. Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing, Jaipur under the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Govt. of India. Rs. 45,89,600.00 on account of unspent balance of previous year, a sum of Rs. 16,25,042.00 has been utilized for revenue expenditure for which it was sanctioned and Rs. 29,64,558.00 balance of grants in aid remain unutilized at the end of the year.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been fulfilled/are being fulfilled.


Director General

Place: Jaipur
 Date: 27.06.2018

डा. पी. चन्द्र शेखरा/Dr. P. Chandra Shekara
 महानिदेशक/Director General
 सी.सी.एस. राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान/
 C.C.S. National Institute of Agricultural Marketing
 (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार संगठन/
 An Organization of Ministry of Agriculture &
 Farmers Welfare, Govt. of India)
 कोटा रोड, बम्बाला, सांगानेर, जयपुर-302033/
 Kota Road, Bambala, Sanganer, Jaipur-302033



Ch. Charan Singh
National Institute of Agricultural Marketing
(A Govt. of India Organisation)
Kota Road, Bambala (Near Sanganer) Jaipur- 302033

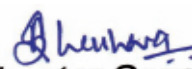
GFR-19A

Utilization Certificate
As on 31-03-2018

S.No.	Letter No & Date	Date of DD/RTGS	Amount
(i)	Balance as on 01.04.2017	-----	7,98,447.00
		Total	7,98,447.00

Certified that out of Rs. NIL of grant-in-aid (NES) under Special Component Plan for Scheduled Caste for North Eastern State Plan was sanctioned during the year 2017-18 in favour of Ch. Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing, Jaipur under the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Govt. of India. Rs. 7,98,447.00 on account of unspent balance of previous year, a sum of Rs. NIL has been utilized for revenue expenditure for which it was sanctioned and Rs. 7,98,447.00 balance of grants in aid remain unutilized at the end of the year.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been fulfilled/are being fulfilled.


Director General

Place: Jaipur
Date: 27.06.2018

डा. पी. चन्द्र शेखरा/Dr. P. Chandra Shekara
महानिदेशक/Director General
सी.सी.एस. राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान/
C.C.S. National Institute of Agricultural Marketing
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार संगठन/
An Organization of Ministry of Agriculture &
Farmers Welfare, Govt. of India)
कोटा रोड, बम्बाला, सांगानेर, जयपुर-302033/
Kota Road, Bambala, Sanganer, Jaipur-302033

Ch. Charan Singh
National Institute of Agricultural Marketing
(A Govt. of India Organisation)
Kota Road, Bambala (Near Sanganer) Jaipur- 302033

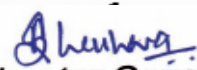
GFR-19A

Utilization Certificate As on 31-03-2018

S.No.	Letter No & Date	Date of DD/RTGS	Amount
(i)	Balance as on 01.04.2017	-----	29,20,657.00
		Total	29,20,657.00

Certified that out of Rs. NIL of grant-in-aid for North Eastern State under Tribal Area Sub Plan for TSP Category for North Eastern State Plan was sanctioned during the year 2017-18 in favour of Ch. Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing, Jaipur under the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Govt. of India. Rs. 29,20,657.00 on account of unspent balance of previous year, a sum of Rs. NIL has been utilized for revenue expenditure for which it was sanctioned and Rs. 29,20,657.00 balance of grants in aid remain unutilized at the end of the year.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been fulfilled/are being fulfilled.


Director General

Place: Jaipur
 Date: 27.06.2018

डा. पी. चन्द्र शेखरा/Dr. P. Chandra Shekara
 महानिदेशक/Director General
 सी.सी.एस. राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान/
 C.C.S. National Institute of Agricultural Marketing
 (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार संगठन/
 An Organization of Ministry of Agriculture &
 Farmers Welfare, Govt. of India)
 कोटा रोड, बम्बाला, सांगानेर, जयपुर-302033/
 Kota Road, Bambala, Sanganer, Jaipur-302033

Ch. Charan Singh
National Institute of Agricultural Marketing
(A Govt. of India Organisation)
Kota Road, Bambala (Near Sanganer) Jaipur- 302033

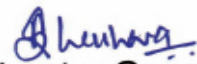
GFR-19A

UTILISATION CERTIFICATE As on 31-03-2018

S.No.	Letter No & Date	Date of DD/RTGS	Amount
(i)	Nil	Nil	Nil
		Total	Nil

Certified that out of Rs. Nil of grant-in-aid sanctioned on account of implementation of Central Sector Scheme "Development of Agricultural Marketing Infrastructure Grading & Standardization" during the year 2017-18 in favour of Ch. Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing, Jaipur under the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Farmer Welfare, Govt. of India vide letter no. given in the margin and Rs. 29,004.09 on account of unspent balance of previous year, a sum of Rs. 177.00 has been utilized for revenue expenditure for which it was sanctioned and Rs. 28,827.09 remain unutilized as on 31.03.2018 & will be utilized in next financial year 2018-19 on receipt of utilization certificates.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been fulfilled/are being fulfilled.


Director General

Place: Jaipur
Date: 27.06.2018

डा. पी. चन्द्र शेखरा/Dr. P. Chandra Shekara
महानिदेशक/Director General
सी.सी.एस. राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान/
C.C.S. National Institute of Agricultural Marketing
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार संगठन/
An Organization of Ministry of Agriculture &
Farmers Welfare, Govt. of India)
कोटा रोड, बम्बाला, सांगानेर, जयपुर-302033/
Kota Road, Bambala, Sanganer, Jaipur-302033

Ch. Charan Singh
National Institute of Agricultural Marketing
(A Govt. of India Organisation)
Kota Road, Bambala (Near Sanganer) Jaipur- 302033

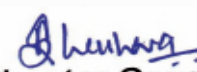
GFR-19A

UTILISATION CERTIFICATE As on 31-03-2018

S.No.	Letter No & Date	Date of DD/RTGS	Amount
(i)	Nil	Nil	Nil
		Total	Nil

Certified that out of Rs. Nil of grant-in-aid sanctioned on account of "Investment Subsidy for Construction/Renovation/Expansion of Rural Godowns" during the year 2017-18 in favour of Ch.Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing, Jaipur under the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Farmer Welfare, Govt. of India vide letter no. given in the margin and Rs. 14,21,565.88 on account of unspent balance of previous year, a sum of Rs. 59.00 has been utilized for revenue expenditure for which it was sanctioned and Rs.14,21,511.88 remain unutilized as on 31.03.2018 & will be utilized in next financial year 2018-19 on receipt of utilization certificates.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been fulfilled/are being fulfilled.


Director General

Place: Jaipur
 Date: 27.06.2018

डा. पी. चन्द्र शेखरा/Dr. P. Chandra Shekara
 महानिदेशक/Director General
 सी.सी.एस. राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान/
 C.C.S. National Institute of Agricultural Marketing
 (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार संगठन/
 An Organization of Ministry of Agriculture &
 Farmers Welfare, Govt. of India)
 कोटा रोड, बम्बाला, सांगानेर, जयपुर-302033/
 Kota Road, Bambala, Sanganer, Jaipur-302033

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
C.C.S.NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL MARKETING
 Kota Road, Bambala, Jaipur ~ 302033

BALANCE SHEET AS ON 31st March 2018

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	(Amount - Rs)	
		Current Year	Previous Year
CORPUS / CAPITAL FUND	1	229754237.81	211286579.45
RESERVES AND SURPLUS	2	0.00	0.00
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	3	252041072.10	251380437.10
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	0.00	0.00
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	0.00	0.00
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	0.00	0.00
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	36091168.70	34940031.00
TOTAL		517886478.61	497607047.55
ASSETS			
FIXED ASSETS			
INVESTMENT-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	8	283956028.35	280526606.35
INVESTMENT-OTHERS	9	13153848.00	12141321.00
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	10	0.00	0.00
	11	220776602.26	204939120.20
MISCELLANEOUS EXPENDITURE			
(to the extent not written off or adjusted)			
TOTAL		517886478.61	497607047.55
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

As per our report even dated attached
 For J.Singh & Associates
 FRN - 110266W
 Chartered Accountants



(Shalini Jain)
 Partner
 M. No. 406364
 Place: Jaipur
 Date: 27.06.2018

Shalini Jain
 Accounts Officer
 NIAM, Jaipur

Shalini Jain
 Director General
 NIAM, Jaipur

वार्षिक प्रतिवेदन



FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATIONS) C.C.S. NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL MARKETING

Kota Road, Bambala, Jaipur - 302033

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31st March 2018

INCOME	Schedule	(Amount - Rs.)	
		Current Year	Previous Year
Income from Sales / Services	12	8771717.00	14779370.00
Grants / Subsidies	13	89485359.20	48603959.83
Fees / Subscriptions	14	51400061.00	42274665.75
Income from Investments (Income on Invest. From earmarked/endow. Funds transferred to Funds)	15	91700.00	87400.00
Income from Royalty, Publication etc.	16	0.00	0.00
Interest Earned	17	3015067.00	1536383.00
Other Income	18	221186.00	884750.00
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19	0.00	0.00
TOTAL (A)		152985090.20	108166528.58
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	33221656.00	30375605.00
Other Administrative Expenses etc.	21	72148808.64	41149471.98
Expenditure on Grants, Subsidies of RGS	22	0.00	0.00
Interest	23	0.00	0.00
Prior Adjustment		0.00	0.00
Depreciation (Net Total at the year-end - corresponding to Schedule 8)		0.00	0.00
TOTAL (B)		105370464.64	71525076.98
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		47614625.56	36641451.60
Transfer to / from General Reserve		0.00	0.00
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		47614625.56	36641451.60
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES			
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS			
	24		
	25		

As per our report even dated attached
For J. Singh & Associates
FRN - 110266W



(Shalini Jain)
Partner
M. No. 406364

Place: Jaipur
Date: 27.06.2018

Shelw
Accounts Officer
NIAM, Jaipur

Shelw
Director General
NIAM, Jaipur

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
C.C.S. NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL MARKETING
Kola Road, Bambala, Jaipur - 322033
CONSOLIDATED RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st March 2018

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year	Amount - Rs.
I) Opening Balance			II) Expenses			Previous Year
a) Cash in Hand	0.00	16,879.00	a) Establishment Expenses	285,06,546.00	268,05,581.00	
b) Bank Balance	249,88,601.70	50,82,416.10	b) Office administrative & Insp. Maint. Expenses	942,49,837.60	359,06,959.15	
i) In current/savings A/c	1595,12,831.00	1384,89,376.00	c) Trg. PIF & Con. etc. exps	2,73,50,536.00	37,58,264.00	
ii) In deposit A/c	10,000.00	10,000.00	Trg. PIF & Con. etc. exps (NIAM)	0.00	0.00	
iii) In F-Bank A/c			Trg. PIF & Con. etc. exps (MKT. INFRA)	0.00	0.00	
IV) Grant Received			Trg. PIF & Con. etc. exps (RGS)	0.00	0.00	
a) From Govt. of India			Trg. PIF & Con. etc. exps (CPWD)	535.00	0.00	
b) NIAM	609,99,000.00	740,00,000.00	Trg. PIF & Con. etc. exps (GDADAM)	36,48,810.00	0.00	
III) MIS	0.00	0.00	III) Payment made against fund			
IV) CSS (RGS)	0.00	0.00	Advance for Training programmes (NIAM)	71,19,534.00	69,79,378.00	
V) NAMA	0.00	0.00	Advance for Training programmes (RGS)	0.00	0.00	
VI) MIDH	100,00,000.00	100,00,000.00	Advance for Training programmes (MKT. INFRA)	0.00	0.00	
Transfer	0.00	0.00	Advance for Training programmes (CPWD)	0.00	0.00	
III) Income on Investment			III) Investment and deposit made			
a) Earnmarked/Endow. Funds	0.00	0.00	a) Out of Earnmarked/Endowment Fund (Gratuity)	10,12,527.00	39,364.00	
b) Own Fund	0.00	0.00	b) Out of own fund	0.00	0.00	
IV) Interest Received			IV) Expenditure on Fixed Assets & CPWD			
a) On Bank Deposit	97,07,239.00	25,99,431.00	a) Purchase of Fixed Assets	34,30,520.00	22,58,480.00	
b) Loan, Advances (Employees) etc.	0.00	0.00	b) Expenditure on CPWD	66,32,079.00	179,33,708.00	
VI) Other Income			VI) Refund of surplus money/Loans			
a) Fees for Service	125,56,983.00	69,92,263.00	a) To the Govt. of India	0.00	3,30,110.00	
b) Fees for PGDARM	338,13,353.00	368,35,388.75	b) To the State Govt.	0.00	0.00	
c) Misc. Income	9,11,043.66	25,18,457.00	c) To other provider of Funds/EVD	0.00	0.00	
VI) Amount Borrowed	0.00	0.00	d) Caution Money	2,20,000.00	1,18,000.00	
VII) Any Other Receipt			e) Inter Transfer & Others	20,64,628.00	0.00	
a) Security / EMD Recd.	14,19,800.00	2,32,700.00	VII) Finance Charge (Interest)			
b) Advance received/recovered/inter transfer	424,73,888.00	0.00	Other Advances	0.00	1,50,000.00	
c) Sale of vehicle	0.00	0.00	Advances to Employees	15,18,145.00	23,112.00	
d) Employee advances	0.00	0.00	TDS	48,48,040.00	29,60,163.44	
e) Others (Misc. Recoveries)	105,03,036.00	49,92,442.44	O.S. Liabilities/Other	138,40,254.00	54,95,977.00	
f) Gratuity	20,12,527.00	73,763.00	Security Deposits	8,95,000.00	3,62,429.00	
Total	36,46,08,302.36	28,36,01,578.29	VIII) Closing Balance			
			a) Cash in Hand	0.00	0.00	
			b) Bank balance			
			i) In current/savings A/c	416,52,261.76	249,88,601.70	
			ii) In deposit A/c	1602,68,110.00	1555,12,831.00	
			iii) In F-Bank A/c	10,000.00	10,000.00	
			Total	36,46,08,302.36	28,36,01,578.29	

As per our report even dated attached
For J. Singh & Associates
FRN - 110266W
Chartered Accountants



(Shalini Jain)
Partner
M. No. 406364

Place: Jaipur
Date: 27.06.2018

Shalini Jain
Accounts C. No. 276A
NIAAM, Jaipur

Shalini Jain
Director General
NIAAM, Jaipur

